

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई 2020—आषाढ़ 12, शक 1942

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रबर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 16 जून 2020

क्र.-एफ 1 (ए) 101-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विस्बल, इंदौर को दिनांक 31 जनवरी से 10 फरवरी 2020 तक, ग्यारह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 22 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 17 जून 2020

क्र.-एफ 1 (ए) 152-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जे.एन.पी.ए., सागर को दिनांक 08 जून से 04 जुलाई 2020 तक, सत्ताईस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 07 जून 2020 व 05 जुलाई 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री आर. एस. डेहरिया, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेन्ज सागर द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जे.एन.पी.ए., सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र.-एफ 1(ए)210-1996-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (विजिलेन्स), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दि. 01 से 06 जून 2020 तक, छह: दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 मई 2020 व 07 जून 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आई. पी. कुलत्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक (विजिलेन्स), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 18 जून 2020

क्र.-एफ 1(ए)152-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (निजी सुरक्षा एजेन्सी), मध्यप्रदेश भोपाल को दि. 24 मार्च से 04 अप्रैल 2020 तक, बारह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 24 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 19 जून 2020

क्र.-एफ 1(ए) 88-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, राऔसुबल, पु. मु. भोपाल को दिनांक 08 से 19 जून 2020 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य सहा. पुलिस महानिरीक्षक, राऔसुबल, पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उप पुलिस महानिरीक्षक, राऔसुबल, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र.-एफ 1(ए) 193-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैन्यु.), पु. मु. भोपाल को दिनांक 22 जून से 17 जुलाई 2020 तक छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 जून 2020 व 18-19 जुलाई 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (सामुदायिक पुलिसिंग), पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस महानिदेशक (अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैन्यु.), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 22 जून 2020

क्र.-एफ 1(ए)148-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक पु. मु., भोपाल ने अति आवश्यक कारण से दिनांक 15 जून से 25 जुलाई 2020 तक, इकतालीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13-14 जून 2020 व 26 जुलाई 2020 के विज्ञप्ति अवकाश के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनू. भलावी, अवर सचिव।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जून, 2020

फा. क्र. 1446-2020-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री आदेश कुमार जैन, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पिपरिया, जिला होशंगाबाद की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, में विधिक सलाहकार के पद पर, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 19 जून, 2020

फा. क्र. 2432-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश क्र. 508-गोपनीय-2020-II-2-9-97, दिनांक 26 मई 2020 के पालन में, श्री तनवीर अहमद खान, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्र. 2378-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 11 जून 2020 के द्वारा जारी की गई कार्योत्तर स्वीकृती को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 6 जून, 2020

फा. क्र. 2243-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर/ग्वालियर में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिये, जो राज्य

शासन द्वारा बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन करता है:—

### अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर

1. श्री आर. के. वर्मा (76/1981), अधिवक्ता
2. श्री पुष्टेन्द्र यादव (2307/2000), अधिवक्ता

### अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर सम्बद्ध

#### अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, नई दिल्ली

1. श्री अभय प्रकाश बी. आर. (1493/1991), अधिवक्ता
2. श्री भरत सिंह (डी-1882/1999), अधिवक्ता

### उप महाधिवक्ता, जबलपुर

1. श्री अजय प्रताप सिंह (2488/2000), अधिवक्ता
2. श्री स्वपनिल गांगुली (2010/2001), अधिवक्ता
3. श्री आशीष आंनंद बर्नाड (2374/2005), अधिवक्ता
4. श्री विवेक शर्मा (1746/2006), अधिवक्ता

### अतिरिक्त महाधिवक्ता, इंदौर

1. श्री पुष्टमित्र भार्गव (1683/2004), अधिवक्ता
2. श्री विवेद दलाल (771/1996), अधिवक्ता

### उप महाधिवक्ता, इंदौर

1. अर्चना खेर (1494/1997), अधिवक्ता
2. श्रेया राज सक्सेना (1580/2012), अधिवक्ता

### अतिरिक्त महाधिवक्ता, ग्वालियर

1. श्री अंकुर मोदी (2530/2000), अधिवक्ता
2. श्री एम. पी. एस. रघुवंशी (1148/1992), अधिवक्ता
3. श्री रोहित मिश्रा (2586/2009), अधिवक्ता

### उप महाधिवक्ता, ग्वालियर

1. श्री राजेश शुक्ला (1939/1996), अधिवक्ता
2. श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह (729/2006), अधिवक्ता

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

**नोट**—अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर का प्रशासनिक प्रभार, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अंकुर मोदी एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर का प्रशासनिक प्रभार अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री पुष्टमित्र भार्गव को प्रदान किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 16 जून, 2020

फा. क्र. 2487-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 1615, 1545-इक्कीस-ब(दो) दिनांक 6 मार्च 2019 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल, मध्यप्रदेश के प्रकरणों, अपील

पुनरीक्षण एवं अन्य विविध प्रकरणों में पैरवी करने हेतु नियुक्त विशेष शासकीय अधिवक्ता/विशेष लोक अभियोजक श्री रोहित मिश्रा, अधिवक्ता, ग्वालियर के कार्यकाल में दिनांक 15 जून 2020 तक की अभिवृद्धि करता है। उन्हें मासिक पारिश्रमिक की राशि 55000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुशांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा।

फा. क्र. 2488-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 784, 1568-इक्कीस-ब(दो) दिनांक 4 फरवरी 2019 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 24 (8) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री अभिजीत अवस्थी, अधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 04 फरवरी 2020 से एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है। उन्हें मासिक पारिश्रमिक की राशि 55000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुशांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव।

## परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2020

क्र. एफ 01-10-2020-आठ.—मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1431-2020-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 02 जून 2020 द्वारा श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, जबलपुर की सेवाएँ, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद पर नियुक्ति करने हेतु प्रतिनियुक्ति पर परिवहन विभाग को सौंपी गई हैं।

2. राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, जबलपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एन. चौहान, अवर सचिव।

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 19 जून 2020

क्र. एफ-3-35-2020-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 4835-टीसी-318-रेहटी-उपां-नागरनि-2019, दिनांक 20 अगस्त 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सलकनपुर (रेहटी) विकास योजना 2021 में निमानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निमानुसार हैं:—

### अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम-रेहटी	228/1/2	4.047 हेक्टेयर में से 2.428 हेक्टेयर।	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग (प्रधानमंत्री आवास योजना)
		योग . .	<u>2.428</u> हेक्टेयर		

उपरोक्त उपांतरण सलकनपुर (रेहटी) विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. ए-201-6-1-2020

आगर-मालवा, दिनांक 19 मार्च 2020

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था म ताचत प्रातकर आर पारदाशता का आधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बौद्ध निर्माण के दूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्षित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमाक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्षित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम – गोयल		तहसील – नलखेड़ा	
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं दूब क्षेत्र में प्रभावित होने रो	0.283	0.198
	योग	<b>0.283</b>	<b>0.198</b>

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा			
				2	3	6	9
1	देवीसिंह पिता गणपत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	286/3	0.021	0.010			
					योग	<b>0.021</b>	<b>0.010</b>
2	गोरखन गोकुल तोलाराम, दयाराम पिता मेहताब, रामप्रसाद, कमल, बाबू, जसवंत पिता बसी राजबाई, मोहनबाई पिता बसी सीता बाई वि. बसी जाति ढोली पता निवासी भूमि स्वामी	272/2 शा. नं. 294 0.104	0.125	0.104			
					योग	<b>0.125</b>	<b>0.104</b>
3	रामकन्या बाई पति हिन्दुलाल क्षमाबाई मांगुबाई पिता अमरा जाति बलाई पता निवासी भूमि स्वामी	272/5	0.042	0.021			
					योग	<b>0.042</b>	<b>0.021</b>
4	रतन पिता बापू, मदन नारायण बालू पित सेवा हि. 1/2 जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	272/4 शा.नं. 273/1 0.042	0.063	0.031			
					योग	<b>0.063</b>	<b>0.031</b>
5	देवीसिंह, दर्यावसिंह, मदन, जमनाप्रसाद, राधेश्याम पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	297/1	0.032	0.032			
					योग	<b>0.032</b>	<b>0.032</b>
	महायोग		<b>0.283</b>	<b>0.198</b>			

नोट :— भूमि के नवशे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर-मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए-185-6-1-2020

‘अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगरा-मालवा कुण्डलिया बौद्ध निर्माण के द्वूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्व कमाक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची (1)

ग्राम – कनाली		तहसील – नलखेड़ा	
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं द्वूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	6.390	5.360
	योग	6.390	5.360

### अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा		
			3	6	9
1	देवबाई पुत्री उमराव गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	168/7	0.030	0.010	0.010
	योग		0.030	0.010	0.010
2	मदनलाल पिता छीतु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	193/1 12/1 15/1 16/1 17/1 18/1 30/1 31/1 39/1 45/1	0.060 0.050 0.020 0.080 0.010 0.010 0.010 0.020 0.010 0.050	0.030 0.050 0.020 0.080 0.010 0.010 0.010 0.020 0.010 0.050	0.030 0.050 0.020 0.080 0.010 0.010 0.010 0.020 0.010 0.050
	योग		0.320	0.290	0.290
3	शिवलाल पिता छिता जाति गुर्जर पता निवासी पनाला भूमि स्वामी	193/2 12/2 15/2 16/2 18/2 30/2 31/2 39/2 45/2	0.060 0.050 0.020 0.090 0.010 0.020 0.020 0.010 0.060	0.040 0.050 0.020 0.090 0.010 0.020 0.020 0.010 0.060	0.040 0.050 0.020 0.090 0.010 0.020 0.020 0.010 0.060
	योग		0.340	0.320	0.320
4	प्रहलाद सिंह पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम पनाला भूमि स्वामी	12/3 45/3	0.030 0.040	0.030 0.040	0.030 0.040

क्रं.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकमा	
1	2	3	6	9
		15/3	0.020	0.020
		16/3	0.060	0.060
		30/3	0.010	0.010
		31/3	0.010	0.010
		39/3	0.010	0.010
		193/3	0.040	0.030
	योग		<b>0.220</b>	<b>0.210</b>
5	सीताराम पिता गंगाराम गुर्जर पता निवासी ग्राम पनाला भूमि स्वामी	193/5	0.230	<b>0.120</b>
		192/4	0.380	<b>0.070</b>
		13/1	0.080	0.080
		14/1	0.030	0.300
		19/1	0.220	0.220
		11/1	0.210	0.210
		33/1	0.120	0.120
	योग		<b>1.270</b>	<b>1.120</b>
6	मानसिंह पिता उमराव गुर्जर पता निवासी ग्राम पनाला भूमि स्वामी	193/6	0.040	0.020
		12/4	0.030	0.030
		15/5	0.050	0.050
		16/4	0.060	0.060
		17/2	0.010	0.010
		18/3	0.010	0.010
		30/4	0.010	0.010
		31/4	0.020	0.020
		45/4	0.040	0.040
	योग		<b>0.270</b>	<b>0.250</b>
7	भंवर जी पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम पनाला भूमि स्वामी	12/5	0.040	0.040
		15/4	0.010	0.010
		16/5	0.060	0.060
		31/5	0.010	0.010
		45/5	0.030	0.030
		30/5	0.010	0.010
	योग		<b>0.160</b>	<b>0.160</b>
8	रामुबाई पिता रुग्नाथ नारायण चंद्र बद्री पिता मन्ना जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम पनाला भूमि स्वामी	27	0.070	<b>0.070</b>
	योग		<b>0.070</b>	<b>0.070</b>
9	रामरतन पिता धुला हि 1/2 भेरु लक्ष्मण पिता मांगु बद्दीबाई सिद्धुबाई पु. मांगु हि. 1/2 जाति चमार पता निवासी ग्राम पनाला	58	0.150	<b>0.150</b>
		46	0.230	<b>0.230</b>
	योग		<b>0.380</b>	<b>0.380</b>
10	लक्ष्मीनारायण पिता भेरु प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद पिता मांगु जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम पनाला भूमि स्वामी	54	0.040	0.040
		51	0.070	0.070
		55	0.040	0.040
		56	0.150	0.030

क्र.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकमा	
1	2	3	6	9
	योग	60	0.010	0.010
11	पीरु राधेश्याम पिता कुंवरलाल कमलाबाई पुत्री कुंवरलाल सिद्धीबाई पुत्री बद्रीलाल रामप्रसाद पिता पुरा हि 1/2 चंदा बाई वि. भंवरलाल गोपाल मुकेश पिता सामेश्वर ललताबाई वि. रामेश्वर बंशीलाल बालचंद बाबूलाल शिवलाल हि. 1/2 जाति कुल्ली पता नि. भूमि स्वामी ग्राम पनाला	49	0.060	0.030
	योग		0.060	0.030
12	रामविलासबाई पिता बापू सोरमबाई वि.कालू मांगीलाल पिता ऐया सिताबाई पुत्री ऐया रमेश रामनारायण पिता समंदर शकुबाई वि. समंदर रामदयाल रामचरण पिता भंवर पारुबाई वि. भंवर प्रभु कंवरलाल बंशीलाल पिता भेरु मोड़सिंह पिता दातार गोरखन माता गंगाबाई शंकर पिता बुलारामदयाल भगवान जथनारायण हिन्दुसिंह काशीराम पुत्रगण जाति गुर्जर पता ग्राम पनाला भूमि स्वामी अमरसिंह प्रहलादबाई विधवा अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	23	1.060	0.700
	योग	21	0.230	0.230
		22	0.240	0.240
		24	0.130	0.130
	योग		1.660	1.300
13	गोकूल सिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम पनाला भूमि स्वामी	11/2 13/2 14/2 19/2 32/2 33/2 193/4 192/2	0.200 0.070 0.030 0.230 0.040 0.130 0.230 0.370	0.200 0.070 0.030 0.230 0.040 0.130 0.230 0.100
	योग		1.300	1.030
	महायोग		6.390	5.360

नोट:-

- (1) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसन्नेर जिला आगर-मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कुण्डालिया परियोजना के अधिकारी ओर उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षक करने किसी भी भूमि अवमृदा में खुदाई करने या वैधन करने और अपने कार्य की उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।
- (3) अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यक्तता नहीं होने देगा अर्थात् क्य/विक्य आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- (4) अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख स 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसन्नेर के समक्ष आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे।

प्र. क्र. ए-183-6-1-2020

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्वव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भवनों का सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भवन अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भवनों की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम — गोयल		तहसील — नलखेड़ा जिला आगर मालवा म.प्र.						
क्रं. 1 1	विवरण	अर्जित की जाने भवनों का क्षेत्रफल वर्गमीटर						
		कुल भवन 15	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर	अर्जित भवन का क्षेत्रफल वर्गमीटर				
	निजी भवनों के लिये 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं झूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	15	2411.46		2411.46			
	योग	15	2411.46		2411.46			
संक्र.	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाप	क्षेत्रफल वर्गमीटर में			
1	117	गीताबाई पति देवीसिंह	आर.सी.सी	10.30	x	2.90		
			आर.सी.सी	10.30	x	3.50		
			टीनशेड	3.70	x	4.40		
			टीनशेड	7.20	x	8.40		
			टीनशेड	12.10	x	4.70		
			कबेलु	7.50	x	3.30		
						224.30		
128/1		शंभु पिता गोपी गिर	आर.सी.सी	5.15	x	4.25		
			कवेलु प्रथम तल	4.00	x	3.90		
			टीनशेड प्रथम तल	4.00	x	3.85		
			टीनशेड प्रथम तल	6.30	x	3.85		
						77.14		
2	128/2	रामचंद्रं पिता शंभु गिर	आर.सी.सी	5.15	x	3.90		
			आर.सी.सी	5.15	x	3.85		
			आर.सी.सी	5.15	x	3.90		
			आर.सी.सी	5.15	x	1.00		
			टीनशेड प्रथम तल	4.50	x	3.90		
						17.55		
						82.70		
128/3		सिद्धु गिर पिता शंभु गिर	आर.सी.सी	5.15	x	3.85		
			आर.सी.सी	5.15	x	4.25		
			टीनशेड प्रथम तल	6.30	x	4.10		
			टीनशेड प्रथम तल	4.00	x	4.10		
						16.40		
						83.95		

संक्र.	मकान नं.	मवन के मुख्या का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाप			क्षेत्रफल वर्गमीटर में
3	67	प्रभुलाल पिता मांगीलाल बलाई	टीनशेड	11.30	x	4.90	55.37
			टीनशेड	11.30	x	4.00	45.20
			गाडर फर्सी	1.80	x	1.50	2.70
							103.27
4	172	चांद खां पिता नुर खा जाति पिंजारा	टीनशेड	4.05	x	2.13	8.63
				4.05		2.13	8.63
	172/2	नसीम बी पिता जाकीर खां जाति पिंजारा	टीनशेड	4.05	x	2.13	8.63
5	15/1	श्रीमति गंगाबाई पति भवानीसिंह यादव	टीनशेड	7.50	x	3.70	27.75
			गाडर फर्सी	7.50	x	3.50	26.25
			टीनशेड	4.70	x	3.10	14.57
			कबेलू	4.50	x	7.20	32.40
			गाडर फर्सी	2.20	x	2.30	5.06
							106.03
5	15/2	राजेश पिता भवानीसिंह यादव	गाडर फर्सी	7.50	x	3.50	26.25
			टीनशेड	7.50	x	3.70	27.75
			टीनशेड	4.50	x	3.10	13.95
			कबेलू	7.50	x	7.00	52.50
							120.45
6	66/1	रमेश पिता मांगीलाल	टीनशेड	4.50	x	6.00	27.00
			कबेलू	3.65	x	6.00	21.90
			टीनशेड	5.90	x	18.30	107.97
			गाडर फर्सी	1.40	x	1.50	2.10
							158.97
6	66/2	चंद्र पिता मांगीलाल	टीनशेड	8.00	x	3.50	28.00
			टीनशेड	8.15	x	3.50	28.53
							56.53
7	64	मदन पिता सेवा बलाई	टीनशेड	5.00	x	6.00	30.00
			टीनशेड	2.60	x	2.50	6.50
			कबेलू	5.00	x	8.00	40.00
			गाडर फर्सी	1.20	x	1.50	1.80
			खुला आँगन	5.00	x	5.00	25.00
							103.30
8	16	दुलीचंद पिता बंशीलाल मेहतर	खुला आँगन	6.20	x	4.20	26.04
			टीनशेड	6.20	x	8.40	52.08
			कबेलू	3.60	x	7.10	25.56
			टीनशेड	3.20	x	7.10	22.72
			खुला आँगन	5.00	x	7.30	36.50
			टीनशेड	7.30	x	2.80	20.44
			टीनशेड	7.30	x	3.90	28.47
			गाडर फर्सी	1.20	x	1.50	1.80
							213.61

संख्या	मकान नं.	मवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाप		क्षेत्रफल वर्गमीटर में	
8	63/1	बालूलाल पिता मांगीलाल बलाई	टीनशेड	4.40	x	3.75	16.50
			टीनशेड	4.40	x	3.50	15.40
			गाडर फर्सी	1.50	x	1.20	1.80
9	63/2	मांगीलाल पिता लक्ष्मण बलाई					33.70
			टीनशेड	4.50	x	5.80	26.10
			कबेलू	3.80	x	4.80	18.24
			टीनशेड	3.70	x	3.45	12.77
10	42 to 44	मांगीलाल पिता बुला जी	खुला आँगन	3.70	x	3.45	12.77
			कबेलू	19.30	x	4.10	79.13
			टीनशेड	19.30	x	5.90	113.87
							193.00
11	234/1	मायाराम पिता गेंदा जी	कबेलू	5.20	x	4.00	20.80
			टीनशेड	12.00	x	4.00	48.00
12	234/2	बंशीलाल पिता उदा जी					68.80
			टीनशेड	4.85	x	7.20	34.92
			टीनशेड	4.10	x	5.00	20.50
			टीनशेड	7.30	x	3.10	22.63
13	231	गंगाराम पिता बाबरु सेन					78.05
			टीनशेड	11.00	x	4.00	44.00
			कबेलू	11.00	x	3.60	39.60
			टीनशेड	3.00	x	2.30	6.90
			टीनशेड	4.70	x	5.90	27.73
			खुला आँगन	3.30	x	4.20	13.86
			खुला आँगन	3.00	x	4.70	14.10
14	230/1	होकमसिंह पिता रामचंद्र गुर्जर					146.19
			टीनशेड	8.40	x	4.80	40.32
			कबेलू	8.20	x	3.50	28.70
							69.02
14	230/2	अर्जुन पिता होकमसिंह गुर्जरु	टीनशेड	9.40	x	5.00	47.00
			टीनशेड	12.00	x	3.50	42.00
			गाडर फर्सी	1.20	x	1.50	1.80
			खुला आँगन	15.00	x	5.00	75.00
14	230/3	रामचंद्र पिता प्रताप गुर्जर					165.80
			कबेलू	5.70	x	4.50	25.65
			कबेलू	4.90	x	6.50	31.85
			टीनशेड	8.00	x	4.80	38.40
			टीनशेड	5.70	x	2.00	11.40
							107.30

संख्या	मकान नं.	भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम	मकान का प्रकार	मकान का नाम	बोर्डफल वर्गीटर में
15	0	हनुमान मंदिर	आर.सी.सी	15.20 X 8.70	132.24
					132.24
				महायोग	2411.46

नोट:-

(१) भूमि/भवन के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर-मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(२) उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कुण्डलिया परियोजना के अधिकारी ओर उसके कर्मचारीवृद्धि को भूमि/भवन में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षक करने किसी भी भूमि अवमृद्धा में खुदाई करने या बैधन करने और अपने कार्य की उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राप्तिकृत किया जाता है।

(३) अधिनियम की धारा 11 (४) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से भूमि/भवन का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यक्ताता नहीं होने देगा अर्थात् क्य/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि/भवन पर कोई विलंगाम सृजित नहीं करेगा।

(४) अधिनियम की धारा 16 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख स 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि/भवन अर्जन के बारे में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर के समक्ष आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे।

प्र. क्र. ए-6464-26-12-2020

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 के द्वारा दिल्ली राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना कुडसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डलिया परियोजना बायी तट नहर के निर्माण से प्रभावित होने से वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्व कमाक वार विवरण अनुसूची (२) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (१) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची (१)

ग्राम - मोत्याखेड़ी		तहसील - नलखेड़ा	
विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)	कुल रकबा	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1 निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना बायी तट नहर के निर्माण से प्रभावित होने से	0.993		0.050
योग	0.993		0.050

## अनुसूची (२)

(१) कुण्डलिया बॉध परियोजना बायी तट नहर से प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	6	9
१	शाकुब खें पिता गुलाब खें जाति मुसलमान निवासी भू-स्वामी	721/5 मीन 1	0.993	0.050
	योग		0.993	0.050

नोट:-

(१) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर-मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(२) उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कुण्डलिया परियोजना के अधिकारी ओर उसके कर्मचारीवृद्धि को भूमि

(३) अधिनियम की धारा 11 (४) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यक्ताता नहीं होने देगा अर्थात् क्य/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि अवमृद्धा में खुदाई करने या बैधन करने और अपने कार्य की उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राप्तिकृत किया जाता है।

(४) अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख स 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर के समक्ष आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे।

प्र. क्र. 6464-26-12-2020

अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बांध निर्माण के द्वाव सेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची (1)

ग्राम – कोठडी		तहसील – नलखेड़ा	
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया परियोजना (बांयी तट नहर) के निर्माण से प्रभावित होने से	8.190	0.750
	योग	8.190	0.750

कुण्डलिया परियोजना (बांयी तट नहर) के निर्माण में प्रभावित ग्राम कोठडी की भूमि का विवरण

### अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया परियोजना (बांयी तट नहर) में प्रभावित होने से

ग्राम :— कोठडी , तहसील:— नलखेड़ा

जिला आगर- मालवा

क्र.	प्रभावित कक्ष का नाम पता सहित	खसरा न.	भूमि का कुल रकबा हेक्टर में	अर्जित रकबा हेक्टर में
1	गिरीराज हि. 10 पैसे उंकारलाल हि. 12.50 पिता रामकरण जाति कुल्मी कृष्णाबाई पति रमेशचंद्र गिर बंशी पुरी पिता कन्हैया पुरी पप्पु पुरी पिता उंकार पुरी हि. 2-1 बंटाकन नंबर 150/2	164/1	2.650	0.200
		163	3.440	0.250
	योग		6.090	0.450
2	दरियावबाई पति बाबूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम मोल्याखेड़ी	160/1	1.500	0.150
	योग		1.500	0.150
3	लालु पुरी पिता कन्हैया पुरी जाति गुसाई	164/3/1	0.600	0.150
	योग		0.600	0.150
	TOTAL		8.190	0.750

नोट :— भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर-मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए.

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बौद्ध निर्माण के द्वूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्व कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची (1)

ग्राम - गोकुलपुर		तहसील - नलखेड़ा	
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं द्वूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	9.140	8.520
	योग	9.140	8.520

### अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	6	9
1	निरभेसिंह बहादुर सिंह राधेश्याम पि. नारायण सिंह राजकुंवरबाई वि. नारायण गीताबाई कमलबाई पु. नारायण भूमि स्वामी 1/2 स. भाग प्रभु पिता गुलाब 1/2 जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	113	0.200	0.200
	योग		0.200	0.200
2	रमबाई कमलबाई पु. जगमाल प्रभुलाल पु. कालुसिंह झब्बुबाई शांतीबाई पु. कालुसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	128 134 164 227 229 251 322 314	0.880 1.120 1.270 0.130 0.130 0.050 0.610 0.550	0.880 1.120 1.270 0.130 0.130 0.050 0.610 0.120
	योग		4.740	4.310
3	हीरालाल द. पुत्र पुनम चंद्र जाति सोनी निवासी ग्राम नलखेड़ा भूमि स्वामी	261 257	0.060 0.040	0.060 0.040

क्र.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकमा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा
1	2	3	6	9
		271	0.400	0.400
		290	1.090	1.090
	योग		1.590	1.590
4	रामचरण पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	244/1	0.030	0.030
	योग		0.030	0.030
5	मानसिंह काशीराम सीताराम मदनसिंह पिता देवीसिंह देवराज ना.बा. पु. भागीरथ सरप. माता स्वयं व सीताबाई वि. भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	207/2	0.020	0.020
	योग		0.020	0.020
6	मांगु पिता देवीसिंह लीलाबाई पुत्री देवीसिंह फुन्दीबाई वि. देवीसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	259	0.020	0.020
	योग		0.020	0.020
7	भुरीबाई गिलासबाई पुत्रीयां भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	244/2	0.010	0.010
	योग		0.010	0.010
8	देवबाई पुत्री भवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63/1 65/1 67 107/2/1 143 154/1 212/1 308/1	0.03 0.01 0.38 0.46 0.12 0.03 0.02 0.55	0.030 0.010 0.190 0.460 0.120 0.030 0.020 0.550
	योग		1.600	1.410
9	शिवनारायण पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63/2/1 65/2 107/2/2/1 154/2/1 204/1 308/2/1	0.01 0.01 0.02 0.01 0.08 0.18	0.010 0.010 0.020 0.010 0.080 0.180
	योग		0.310	0.310
10	कमल पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	63/2/2 107/2/2/2	0.01 0.02	0.010 0.020

क्रं.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा
1	2	3	6	9
11	राजकुंवरबाई पुत्री प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी	154/2/2	0.01	0.010
		204/2	0.08	0.080
		308/2/2	0.19	0.190
		योग	<b>0.310</b>	<b>0.310</b>
11	राजकुंवरबाई पुत्री प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी	63/2/3	0.01	0.010
		107/2/2/3	0.02	0.020
		154/2/3	0.01	0.010
		204/3	0.07	0.070
		212/2	0.01	0.010
		308/2/3	0.19	0.190
		योग	<b>0.310</b>	<b>0.310</b>
महायोग			<b>9.140</b>	<b>8.520</b>

नोट :— भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर–मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2019-20-मुरैना-4380

मुरैना, दिनांक 22 मई 2020

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1), एवं 40 सिहपठिंत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झौसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम—चुरहैला प0ह0क0-79 राठनी० वृत्त—07 तहसील—बानमौर उपखण्ड—बानमौर जिला—मुरैना में कुल 0.689 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निमानुसार भूमि जो कि ग्राम—चुरहैला, प0ह0क0-79 राठनी० वृत्त—07 तहसील—बानमौर उपखण्ड—बानमौर जिला—मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

**1. भूमि का वर्णन**

क.	जिला	मुरैना
ख.	तहसील	बानमौर
ग.	ग्राम	चुरहैला
घ.	लगभग क्षेत्रफल	0.689 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	प्रभारी
1	508/7	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	उदयसिंहपुत्र राधोरसिंह <sup>†</sup> राकेश जगदीश पुत्रगण उदय सिंह स० भाग जाति गुठा० नि ग्राम भूमिस्वामी।
2	508/6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	जयराम पुत्र रन्धोर जाति गुठा० पता निवासी ग्राम
3	508/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	बुदेश पुत्र मोहरमनि जाति गुठा० निवासी ग्राम
4	508/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	कुसुमा पुत्र उदयसिंह जाति गुठा० पता निवासी ग्राम।
5	508/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	मु राजावेटी बेवा रामेश्वर परिमाल रामराज पि रामेश्वर मीरा पुत्री रामेश्वर जाति गुठा० स०भा० हि 1/4 रामजीलाल रामभजन रामनारायण पुत्रगण दीनानाथ समा हि 3/4 जाति गुठा० जरारा भूमिस्वामी।
6	508/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	मु राजावेटी बेवा रामेश्वर परिमाल रामराज पि रामेश्वर मीरा पुत्री रामेश्वर जाति गुठा० स०भा० हि 1/4 रामजीलाल रामभजन रामनारायण पुत्रगण दीनानाथ समा हि 3/4 जाति गुठा० जरारा भूमिस्वामी।
7	508/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	राकेश सिंह एदल सिंह पुत्रगण कृपाराम जाति गुठा० पता निवासी ग्राम।
8	507	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	मु राजावेटी बेवा रामेश्वर परिमाल रामराज पि रामेश्वर मीरा पुत्री रामेश्वर जाति गुठा० स०भा० हि 1/4 रामजीलाल रामभजन रामनारायण पुत्रगण दीनानाथ समा हि 3/4 जाति गुठा० जरारा भूमिस्वामी।
9	505	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	मु राजावेटी बेवा रामेश्वर परिमाल रामराज पि रामेश्वर मीरा पुत्री रामेश्वर जाति गुठा० स०भा० हि 1/4 रामजीलाल रामभजन रामनारायण पुत्रगण दीनानाथ समा हि 3/4 जाति गुठा० जरारा भूमिस्वामी।
कुल किता	09			0.689	

- और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जाच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संमावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
  3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, जिन और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
  4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :**—धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 02-अ-82-भू-अर्जन-2019-20-मुरैना-4381

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सुहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झौंसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम—जरारा प0ह0क0—79 राठनी वृत्त—07 तहसील—मुरैना उपखण्ड—मुरैना जिला—मुरैना में कुल 0.010 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निनानुसार भूमि जो कि ग्राम—जरारा, प0ह0क0—79 राठनी वृत्त—07 तहसील—मुरैना उपखण्ड—मुरैना जिला—मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	मुरैना
ख.	तहसील	मुरैना
ग.	ग्राम	जरारा
घ.	लगभग क्षेत्रफल	0.010 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है—

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	6	7
1	117	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	मु प्रेमा बेवा रघुवीर राजेन्द्र विशंभर खिलाई परीक्षत, अशोक बंटी पुत्र रघुवीर मिथ्लेश शीला पुत्री रघुवीर हि. 9/10 मु0 लक्ष्मी बेवा शिवराम संदीप पुत्रगण शिवराम हि 1/10 जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कुल किता	01			0.010	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनाने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संमावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :**—धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-2019-20-मुरैना-4382

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (संहित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झौसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम- जड़ेरुआ प0ह0क0- 91 राठनी वृत्त-07 तहसील- बानमौर उपखण्ड- बानमौर जिला- मुरैना में कुल 1.011 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निमानुसार भूमि जो कि ग्राम- जड़ेरुआ, प0ह0क0-91 राठनी वृत्त-07 तहसील- बानमौर उपखण्ड- बानमौर जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	बानमौर
ग. ग्राम	जड़ेरुआ
घ. लगभग क्षेत्रफल	1.011 हैक्टेयर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
					(राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	1344	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.26	रामलखन, राधेश्याम, रामवीर सिंह पुत्रगण लायक सिंह जाति गुठां 0 पता निवासी ग्राम
2	1345	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.262	भूपेन्द्र नाथा० पि लज्जाराम राजाबेटी बे. लज्जाराम स०भा० हि 1/2 माता प्रसाद पि बाबु हि 1/2 जाति गुठां 0 पता निवासी ग्राम
3	1346	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.222	मु. लामवती बेवा बाबूलाल पप्पन कालीदरन जीतेन्द्र पिता बाबूलाल राजाबेटी नाथा० पि० बाबूलाल समानमाग जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम
4	1347/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.072	रामवरन पुत्र रामकिशुन जाति कुशवाह नि ग्राम भूमिस्वामी
5	1347/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073	नरेशपुत्र रामकिशुन जाति कुशवाह नि ग्राम भूमिस्वामी
6	1350	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.044	बैजनाथ श्री कृष्ण पि हाकिम स०भा० हि 1/2 आदिराम पि होतमसिंह हि 1/2 जाति गुठां 0 नि ग्राम भूमिस्वामी
7	1351	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.078	केदार पिता छत्रपाल जाति ब्रा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कुल किता	07			1.011	

1. यह दोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आंकड़े का तुनने एवं भूमि कर्तव्य तुलनात्मक अंतर पुनर्व्यवरथापन में उत्तम उचित और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) ने उपबंधित सम्यक ज्ञाते के पश्चात की गयी है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विरक्षापित होने वाले संभावित कटुओं की संख्या निरंकु निरंकु है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र विनियत करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनियों की खाने हैं, खनिज और खनियों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से सम्बन्धित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपर्यंथ लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 38-17-18-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-4927

मुरैना, दिनांक 6 जून 2020

{ (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)}

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलौ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिए अतिरिक्त भूमि ग्राम- छाहर प0ह0क0- 10 रा0नि0 वृत्त-01 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 2.227 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- छाहर प0ह0क0- 10 रा0नि0 वृत्त-01 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।:-

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सवलगढ़
ग. ग्राम	छाहर
घ. लगभग क्षेत्रफल	2.227 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	136	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.151	रामदयाल पुत्र खूबा जाति जाटव नि0 ग्राम टेंटरा भूमिस्वामी।
2	140	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	केदार भरोसीलाल नरोत्तम पुत्रगण मुल्लाराम जाति गौड़ पता नि0 ग्राम टेंटरा भूमिस्वामी।
3	142	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200	किन्ती बेवा भौदू रघुराज केषव आ0 भौदू सुआ उर्फ सिया बाई पुत्रियां भौदू स0भा0 हि0 1/3 कमला बेवा सियाराम लोकेश लवकेश आ0 सियाराम काजल पुत्री सियाराम स0भा0 हि0 1/3 गोरेलाल श्रीधर गजाधर वीरबल गिर्ज पुत्रगण शंकरिया अजुद्धी कमला बिमला पुत्रीयान शंकरिया स0भा0 हि0 8/27 साबो बेवा चिरोंजी लाखन माखन अजीत महावीर

					आ० चिरोंजी माया पुत्री चिरोंजी स०भा० हि० 1/27 जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमिस्वामी । —
4	143 / 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.203	रामदयाल पुत्र खूबा जाति जाटव पता नि० ग्राम टेंटरा भूमिस्वामी । —
5	143 / 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.168	मु० ल्हैबा वेबा खूबा बद्री प्रसाद रामदयाल भागीरथ पुत्रगण खूबा कौशा पुत्री खूबा स० भाग जाति जाटव पता नि० ग्राम टेंटरा भूमिस्वामी । —
6	143 / 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.144	रामदयाल पुत्र खूबा जाति जाटव पता नि० ग्राम टेंटरा भूमिस्वामी । —
7	143 / 4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.122	मु० ल्हैबा वेबा अमरु, ओमप्रकाश पुत्र अमरु रामकटोरी ज्ञानेश्वरी राजकुमारी महेश्वरी पुत्रियां अमरु जाति जाटव पता नि० ग्राम टेंटरा भूमिस्वामी । —
8	144	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.027	किन्ती बेवा भौदू रघुराज केशव आ० भौदू सुआ उर्फ सियाबाई पुत्रियां भौदू स०भा० हि० 1/3 कमला बेवा सियाराम लोकेश लवकेश आ० सियाराम काजल पुत्री सियाराम स०भा० हि० 1/3 गोरेलाल श्रीधर गजाधर वीरबल गिरज पुत्रगण शंकरिया अजुद्धी कमला बिमला पुत्रीयां शंकरिया स०भा० हि० 8/27 साबो बेवा चिरोंजी लाखन माखन अजीत महावीर आ० चिरोंजी माया पुत्री चिरोंजी स०भा० हि० 1/27 जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमिस्वामी । —
9	148	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.076	श्रीपति प्रहलाद रामसिंह हरीसिंह पुत्रगण तोफनिया कांति रामकटोरी पुष्पा पुत्रियां तोफनिया स० भाग जाति जाटव नि० ग्राम टेंटरा । —
10	149	शा. पटटेदार	कृषि भूमि	0.024	तोफनियां पुत्र मुरली जाति जाटव नि० ग्राम शा. पटटेदार विभाग भूमि विक्रय से बर्जित । —
11	151	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	रजनीसिंह पति उदयभानसिंह जाति ठाकुर नि० खोह भूमिस्वामी । —
12	168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	अजुद्धी बेवा छोटे सुगन उम्मेद पुत्रगण छोटे सामन्ती रुमाली प्रेम महेश्वरी पुत्रियां छोटे गुड़डी नाबा० पुत्री सीता सर० सुगन

						काका खुद जाति जाटव स0भा० 0.36 आरे परसोली पुत्र बिहारी हि० 0.36 आरे कम्मोदा पुत्री बिहारी हि० 0.06 बहादुर राजेन्द्र मोहरसिंह पुत्रगण परसोली जाति जाटव स0भा० हि० 0.48 आरे पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
13	169	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.076		दुग्दिवी पत्नी हरिहर गीतादेवी पत्नि मनमोहन मनीषा पत्नि दाताराम स0 भाग जाति ब्रा० नि० ग्राम टेंटरा ।
14	170	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100		होरीलाल काशीराम दिनेश पुत्रगण बुद्ध दुलारी पुत्री बुद्ध स0भा० जाति कहार पता नि० टेंटरा भूमिस्वामी ।
15	179 / 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.600		काशीराम आत्मज बंशी जाति कुम्हार नि० प्राम भूमिस्वामी ।
16	179 / 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.216		रामस्वरूप पुत्र बंशी जाति कुम्हार नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
कुल 16 सर्वे नं० में				2.227 है०		

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
  2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विरस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
  3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
  4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता
- विषेष :-धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावध्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 76-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2018-4928

{ (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 सहपाठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)}

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलौ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिए अतिरिक्त भूमि ग्राम- मांगरोल प0ह0क0- 09 रा0नि0 वृत्त-01 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 1.582 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- मांगरोल प0ह0क0-09 रा0नि0 वृत्त-01 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।:-

अनुसूची

## 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सवलगढ़
ग. ग्राम	मांगरोल
घ. लगभग क्षेत्रफल	1.582 हैक्टेयर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	1724	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.056	मुंशी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बाढ़ई पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
2	1742	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	नर्मदा बेबा हरिनन्दन रामदीन जगदीश रामनिवास हरिओम अखिलेश पुत्रगण हरिनंदन स.भाग 1/2 जा रावत रामदयाल पुत्र रामभजन भाग 1/2 जा. ब्रा. नि. ग्राम भूमिस्वामी।
3	2120	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	बैजन्ती बेबा जगदीश फेरन मुन्ना पुत्रगण जगदीष गुड़डी पुत्री जगदीष रामश्री पुत्री प्रहलाद स.भाग 1/2 कलावती बेबा मदनू नरेश बारेलाल पुत्रगण मदनू कामिनी कमला उम्मेदी पुत्रीयॉ मदनू स. भाग 1/2 जा.रावत नि.ग्राम भूमिस्वामी।
4	2121	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.067	बैजन्ती बेबा जगदीश फेरन मुन्ना पुत्रगण जगदीश गुड़डी पुत्री जगदीश रामश्री पुत्री प्रहलाद भाग 1/2 कलावती बेबा मदनू नरेश बारेलाल पुत्रगण मदनू

					कामिनी कमला उम्मेदी पुत्रीयॉ मदनू सु भाग 1/2 जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
5	2122	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.071	रामजीलाल जगदीश पुत्र बसन्ता कंचन बेबा बसन्ता स.भाग 1/2 प्रथ्यीराज कम्मोद सोवरन सुल्तान पुत्रगण महीपति राजश्री बेबा महीपति कमला शकुन्तला श्रीया पुत्रीयॉ महीपति मुल्लो बेबा भॅन्ता स.भाग 1/4 पार्वती बेबा बीरबल राजेन्द्र नरेश ऋषिकेश पुत्रगण बीरबल स. भाग 1/4 जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
6	2123	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.082	रामस्वरूप अमरसिंह पुत्रगण चिरोजी लहोई त्रिवेणी पुत्रीयॉ चिरोजी स.भाग जा. रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
7	2124	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.045	रामजीलाल जगदीश पुत्र बसन्ता कंचन बेबा बसन्ता स.भाग 1/2 प्रथ्यीराज कम्मोद सोवरन सुल्तान पुत्रगण महीपति राजश्री बेबा महीपति कमला शकुन्तला श्रीया पुत्रीयॉ महीपति मुल्लो बेबा भॅन्ता स.भाग 1/4 पार्वती बेबा बीरबल राजेन्द्र नरेश ऋषिकेश पुत्रगण बीरबल स. भाग 1/4 जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
8	2125	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073	चन्दन पत्नी श्रीपति भाग 1/2 रामस्वरूप बा. अमरसिंह नाबा. पुत्र चिरोजीलाल सर. पिता खुद समान भाग हि. 1/4 हरिनन्दन बाबूलाल रघुपति पुत्रगण मुकन्दी समान भाग हि. 1/4 जाति रावत पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
9	2126	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.002	रामसिंह पुत्र बाबूलाल भाग 56/337 सुआ पत्नी बाबूलाल भाग 168/337 दर भाग 2/3 हरेत रामहेत पुत्र जनवेद स. भाग 1/6 निर्मल वृजेन्द्र बा. रामकुमार नाबा. पुत्रगण रामस्वरूप नाबा. सर. भाई खुद रामलता पुत्री रामस्वरूप स. भाग 4/5 सुनीता बेबा सीताराम कल्पना नाबा. पुत्री सीताराम नाबा. सर. मौ खुद स. भाग 1/5 दर भाग 1/12 मुरारी पुत्र रघू बैकुन्ठी पुत्री रघू स. भाग 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
10	2133	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	किन्ती जोजे मुकन्दी जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
11	2136	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.144	बूदीलाल पुत्र हरिविलास इमरती रामश्री लीला बादामी पुत्रीयॉ हरिविलास स.भाग 5/7 पुष्पा बेबा केदारलाल शंकरदीप

					दिलीप पुत्रगण केदारलाल शशी रीना पुत्रीयॉ केदारलाल स. भाग 1/7 अरुणवीर पुत्र रामजीलाल प्रयाग रामवती सुनीता ममता पुत्रीयॉ रामजीलाल स. भाग 1/7 जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
12	2146	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.064	बीरसिंह पुत्र रामनाथ कलिया द्वारिका पुत्रीयॉ रामनाथ बादामी बेबा रामनाथ रामरती बेबा कल्लू धीरज आशाराम नाबा. पुत्रगण कल्लू सर. मॉ खुद स.भाग 1/4 बीरबल पुत्र गिरवर भागवती पुत्री गिरवर स.भाग 2/4 देवलीया बेबा सुमेर रणवीर पुत्र सुमेर मीना पुत्री सुमेर स. भाग 1/4 जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
13	2147	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073	बूदीलाल पुत्र हरिविलास इमरती रामश्री लीला बादामी पुत्रीयॉ हरिविलास स.भाग 5/7 पुष्पा बेबा केदारलाल शंकरदीप दिलीप पुत्रगण केदारलाल शशी, रीना पुत्रीयॉ केदारलाल स. भाग 1/7 अरुणवीर पुत्र रामजीलाल प्रयाग रामवती सुनीता ममता पुत्रीयॉ रामजीलाल स. भाग 1/7 जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
14	2149	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.121	राजीवकुमार पुत्र किरोडीलाल जा. ब्रा. नि.ग्राम भूमिस्वामी।
15	2150	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.064	सामन्त पुत्र कुअरचंद कस्तूरी पुत्री कुअरचंद स.भाग जा.रावत नि.ग्राम भूमिस्वामी।
16	2168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.011	चिरोजीलाल अमरलाल पुत्र श्रीकिशन किन्ती पुत्री श्रीकिशन स. भाग 3/4 प्रतापसिंह भूपेन्द्रसिंह पुत्र लटूर ल्होईबाई बेबा लटूर स. भाग 1/4 जाति रावत पता नि० ग्राम।
17	2169	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.179	रामस्वरूप रामहेत हरेत पुत्रगण जनवेद स. भाग 3/4 मुरारी पुत्र रघू बैकुण्डी पुत्री रघू स.भाग 1/4 जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
18	2170	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	शंकरदीप दिलीप पुत्रगण केदारलाल पुष्पा बेबा केदारलाल शशी रीना पुत्रीयॉ केदारलाल स.भाग जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
19	2173	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.057	बूदीलाल पुत्र हरिविलास जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
20	2174	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.331	बूदीलाल पुत्र हरिविलास जा.रावत नि. ग्राम

21	2175	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.019	बैजन्ती बेबा जगदीश फेरन मुन्ना पुत्राप्पा जगदीश गुडडी पुत्री जगदीश रामश्री पुत्री प्रहलाद स.भाग 1/2 कलावती बेबा मदनू नरेश बारेलाल पुत्रगण मदनू कामिनी कमला उम्मेदी पुत्रीयों मदनू स.भाग 1/2 जा.रावत नि.ग्राम भूमिस्वामी।
22	2176	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	महराजसिंह कल्याणसिंह हाकिमसिंह पुत्रगण भगवनलाल रेवती गिरपती रामपती पुत्रीयों भगवनलाल स. भाग जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
23	2177	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	बैजन्ती बेबा जगदीश फेरन मुन्ना पुत्रगण जगदीश गुडडी पुत्री जगदीश रामश्री पुत्री प्रहलाद स.भाग 1/2 कलावती बेबा मदनू नरेश बारेलाल पुत्रगण मदनू कामिनी कमला उम्मेदी पुत्रीयों मदनू स.भाग 1/2 जा.रावत नि.ग्राम भूमिस्वामी।
24	2179	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	बैजन्ती बेबा जगदीश फेरन मुन्ना पुत्रगण जगदीश गुडडी पुत्री जगदीश रामश्री पुत्री प्रहलाद स.भाग 1/2 कलावती बेबा मदनू नरेश बारेलाल पुत्रगण मदनू कामिनी कमला उम्मेदी पुत्रीयों मदनू स.भाग 1/2 जा.रावत नि.ग्राम भूमिस्वामी।
25	2180	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.018	महराजसिंह कल्याणसिंह हाकिमसिंह पुत्रगण भगवनलाल रेवती गिरपती रामपती पुत्रीयों भगवनलाल स. भाग जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
26	2182	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.016	सन्तोषी ब्रजमोहन पुत्रगण गंगाधर शीला सरोज कमला पुत्रीयों गंगाधर स. भाग 1/2 रामबाबू पुत्र रामलाल भाग 1/2 जा. ब्रा. नि. ग्राम भूमिस्वामी।
27	2183	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.006	नर्मदा बेबा हरिनन्दन रामदीन जगदीश रामनिवास हरिओम अखिलेश पुत्रगण हरिनन्दन स. भाग 1/2 जा. ब्रा. रामदयाल पुत्र हरिभजन भाग 1/2 जा. ब्रा. नि. ग्राम भूमिस्वामी।
28	2184	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.004	बैजन्ती पुत्री भागीराम जा. ब्रा. नि. ग्राम भूमिस्वामी।
किता 28				1.582	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वरथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपर्युक्त सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्वरथापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुचिभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता

**विषेष :-**धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावधिकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 10-अ-82-भू-अर्जन-2019-उ.म.रे.-4968

मुरैना, दिनांक 8 जून 2020

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम—नायकपुरा प0ह0क0—06 राठनी0 वृत्त—02 तहसील—मुरैना उपखण्ड—मुरैना जिला—मुरैना में कुल 0.21 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम—नायकपुरा, प0ह0क0—06 राठनी0 वृत्त—02 तहसील—मुरैना उपखण्ड—मुरैना जिला—मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	मुरैना
ग. ग्राम	नायकपुरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.21 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है—	

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
					(राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	32	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.21	कुन्जमनि पुत्र पहाड़सिंह सोवरनसिंह पुत्र प्रहलादसिंह मु बादामी बेवा रघुवरसिंह रामधन गेंदालाल, मेहतावसिंह, रामू कालीचरन पुत्र रघुवरसिंह, भागवती पुत्री रघुवरसिंह मु मीरा बेवा पंजाबसिंह बन्टी अनील धर्मवीर नाबा पुत्र पंजाबसिंह सर मॉ खुद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी बहादुसिंह रोशन पुत्र गोपालसिंह मु विट्टो बेवा गोपालसिंह समान अमरसिंह परिमाल वा निरोत्तमसिंह, केशवसिंह नाबा पुत्र मूंगाराम सर भाई अमरसिंह खुद मु रामदुलारी बेवा मूंगाराम समान महेन्द्रसिंह, कृपाराम, विद्याराम, पूरनसिंह, सीताराम पुत्र रामनाथसिंह समान भाग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी श्री कृष्ण, ग्यासीराम, पंचमसिंह व दारिकसिंह, रामजीलाल पुत्र पारथसिंह, रामेश्वर, वचनसिंह रनवीर वीरेन्द्रसिंह, बुजमोहन पुत्र देवीसिंह रामकेश मुकेश राजेश पुत्र वर जौरसिंह समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी गजेन्द्रसिंह राम पुत्र कदमसिंह, मु. काशीबाई बेवा कदमसिंह समान फेरनसिंह पुत्र ग्यासीराम, पुरुषोत्तम, दीवानसिंह, विशालसिंह, महेन्द्रसिंह, रामराजसिंह, श्रीमानसिंह, कैलाससिंह, भरतसिंह, पुत्र भगवानसिंह मु रामरती, बेवा भगवानसिंह उर्मिला पुत्री भगवानसिंह समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामप्रसाद, गजेन्द्रसिंह जैकमसिंह पुत्र दामोदरसिंह लाली कल्लो पुत्री दामोदरसिंह मु असर्की बेवा दामोदरसिंह दीनानाथसिंह गिरन्दरसिंह, सीताराम

				पुत्री हरीसिंह, श्यामसुन्दर पुत्र नवलसिंह पूरनसिंह एदलसिंह पुत्र होतमसिंह मोना पुत्री होतमसिंह मु दोपती बेवा होतमसिंह समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी राजेन्द्रसिंह दलीपसिंह पुत्र माधौसिंह मु बनमाला देव माधौसिंह समान मुंशीसिंह पुत्र बलवन्तसिंह द्वारिकाप्रसाद सियाराम पुत्र हाकिमसिंह समान सरदारसिंह पुत्र नारायणसिंह शांती बादामी प्रभा पुत्री नारायणसिंह समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी कपानसिंह पुत्र पंछीसिंह नाबा सर मां कंचनसिंह बेवा पंछीसिंह समान मु नारायणी बेवा हाकिमसिंह दामोदर वीरेन्द्रसिंह पुत्र हाकिमसिंह सरदार पुत्र जसराम समान सुल्तानसिंह पुत्र अंगदसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मु रामवती बेवा कृत्यानसिंह राकेश वा शतेन्द्र जोगेन्द्र नाबा पुत्रय कल्यानसिंह रजनी खुशबू भनीषा नाबा पुत्री कल्यानसिंह समान हरिगोविन्द वल्लेव शिवलाल पुत्र गरसिंह नाहरिया पुत्र मुख्ती अंगद पुत्र सूरजहंस वरजोरसिंह पुत्र श्यामलाल, श्यामलाल पुत्र दनकसिंह जगदीश केदार पुत्र पीतमसिंह मु हरिकुआरि बेवा पीतमसिंह समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी बदनसिंह गनपति सुधरसिंह राजाराम पुत्र चक्रपान श्रीपति कल्यानसिंह पुत्र प्रहलादसिंह कमलसिंह मानसिंह पुत्र सियाराम पातीराम हलुकी रोशन पुत्र रामचरन समान करनसिंह पुत्र हरिक्ष कुर्जना पत्र रामचन्द्र विकम पुत्र प्रताप हल्लू पुत्र गोविन्दा जाहरसिंह पुत्र भीखाराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी श्रीकृष्ण पुत्र विधीचन्द्र हुक्मसिंह पुत्र करनसिंह, रामधन, रामचरनसिंह रामजीसिंह पुत्र रतनलाल समान भोगीराम सरमन पुत्र रामकिशून बैकुन्ठी पुत्री रामकिशून महावीर नथा बचनसिंह ग्यासीराम पुत्र भोगीराम समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी शिवसिंह ग्याराम नाहरिया पुत्र चक्रपान मु विट्टो बेवा रामचित्र बद्रीपुत्र भीखा, लक्ष्मन मातादीन एवरन पुत्र अन्तराम नाबा सरमों तलफा खुद जाति गुठाठ पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 13.18
कुल किता	01	0.210		

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-**धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 07-अ-82-भू-अर्जन-2019-मुरैना-5091-1

मुरैना, दिनांक 10 जून 2020

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मधुरा झोसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम- दीखतपुरा प0ह0क0-27. रा0नि0 वृत्त-02. तहसील -मुरैना उपखण्ड- बानमौर जिला-मुरैना में कुल 2.286 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- दीखतपुरा, प0ह0क0-27. रा0नि0 वृत्त-02. तहसील- मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवध्यकता है।

अनुसूची

## 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	मुरैना
ग. ग्राम	दीखतपुरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	2.286 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्व नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
					(राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	468	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.181	धनीराम पुत्र भरोषी रामरत्नी गुडडी पुत्रियां भरोषी मु कौसी बेवा भरोषी जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू रा शा 399
2	469	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.163	पुना पुत्र हरीप्रसाद रामकटोरी पुत्री गनेशा हि 0.891 है समान भाग पुष्टा देवी पल्नी संजय अर्गल पुत्री रोशनलाल हि 209 जाति जाटव मोहकम बा द्वारिका नावा लज्जाराम महादेवी गुडडी पप्पी ब गुडिया नावालिंग पुत्रियां लज्जाराम सरप मा खुद बत्तो बेवा लज्जाराम हि 0.19 भूमि स्वामी श्रीमति कैलाशी पल्नी बारेलाल जा जाटव रकवा 0.16 हेक्टेयर बैजनाथ रघुवीर बालकिशन धारासिंह पुत्रगण हीरालाल उर्मिला पुत्री हीरालाल हि 0.20 भूमिस्वामी साहबसिंह पु रामसिंह लीलावती राजकुमारी नाबा पुत्री रामसिंह सर भाई खुदहि 0.31 भूमिस्वामी वेजत्ती बेवा पहलूराम उर्फ पहलू हि 1/3 केदार पुत्र विकम कैलाशी पुत्री विकम समान भाग 2/3 दर भाग रकवा 0.17 नारायण बारेलाल बनवारी पि भीखा समान भाग रकवा 1.63 जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामस्वरूप पुत्र गोरेलाल जाति बघेले पता निवासी ग्राम 0.49 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता 40.68
3	472	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.112	रामचरन पुत्र फददी भग्गो पुत्री फददी जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू रा शा 448

4	473	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.160	रामचरन पुत्र फददी भगगो पुत्री फददी जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू रा शा 448
5	477	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.028	रामेश्वरसिंह बचनसिंह रणवीरसिंह वीरेन्द्रसिंह बृजमोहनसिंह पिता देवीसिंह जाति गु0 ठा0 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराशा 50
6	479	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	रामेश्वरसिंह बचनसिंह रणवीरसिंह वीरेन्द्रसिंह बृजमोहनसिंह पिता देवीसिंह जाति गु0 ठा0 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराशा 50
7	480	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	रामेश्वरसिंह बचनसिंह रणवीरसिंह वीरेन्द्रसिंह बृजमोहनसिंह पिता देवीसिंह जाति गु0 ठा0 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराशा 50
8	482	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.022	रामेश्वरसिंह बचनसिंह रणवीरसिंह वीरेन्द्रसिंह बृजमोहनसिंह पिता देवीसिंह जाति गु0 ठा0 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराशा 50
9	485	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.008	मु हरीमैजी बेवा जगन्नाथ जाति ब्रा पता निवासी सिकरौदा भूमिस्वामी भू राजस्व 3.81
10	486	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	मु हरीमैजी बेवा जगन्नाथ जाति ब्रा पता निवासी सिकरौदा भूमिस्वामी भू राजस्व 3.81
11	487	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	रामवरन बलिराम श्रीकृष्ण देशराज गिरज पिता रामदीन शर्मा जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम सिकरौदा भूमिस्वामी भू राजस्व 1.60
12	488	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	राजेशसिंह पुत्र बरजोरसिंह जाति गु0ठा0 पता निरो ग्राम भूमिस्वामी भू रा शा0 255
13	491	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.005	राजेशसिंह पुत्र बरजोरसिंह जाति गु0ठा0 पता निरो ग्राम भूमिस्वामी भू रा शा0 255
14	492	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.222	गजेन्द्रसिंह पिता कदमसिंह जाति गु0ठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू रा शा0 291
15	493	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.154	मु करस्तुरी बे सिद्धारसिंह मुकेश पु सिद्धार विमला पुत्री सिद्धार 1/2 राजाबेटी बे हाकिमसिंह जाति बघेले पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 2.70
16	494	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.102	रामस्वरूप पुत्र गोरेलाल जाति बघेले पता निवासी पिपरसा भूमिस्वामी भू राजस्व 2.00
17	495	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.039	पुना पुत्र हरीप्रसाद रामकटोरी पुत्री गनेशा हि 0.891 है समान भाग पुष्पा देवी पत्नी संजय अर्गल पुत्री रोशनलाल हि 209 जाति जाटव मोहकम बा द्वारिका नावा लज्जाराम महादेवी गुड़ी पणी बे गुडिया नावालिंग पुत्रीयां लज्जाराम सरप मा खुद बत्तो बेवा लज्जाराम हि 0.19 भूमि स्वामी श्रीमति कैलाशी पत्नी बारेलाल जा जाटव रकवा 0.16 है कटेयर बैजनाथ रघुवीर बालकिशन धारासिंह पुत्रगण हीरालाल उर्मिला पुत्री हीरालाल हि 0.20 भूमिस्वामी साहबसिंह पु रामसिंह लीलावती राजकुमारी नाबा पुत्री रामसिंह सर भाई खुदहि 0.31 भूमिस्वामी वेजन्ती बेवा पहलूराम उर्फ पहलू हि 1/3 केदार पुत्र विकम कैलाशी पुत्री विकम समान भाग 2/3 दर भाग रकवा 0.17 नारायण बारेलाल बनवारी पि भीखा समान भाग रकवा 1.63 जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामस्वरूप पुत्र गोरेलाल जाति बघेले पता निवासी ग्राम 0.49 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व विलमुक्ता 40.68
18	496	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	पुना पुत्र हरीप्रसाद रामकटोरी पुत्री गनेशा हि 0.891 है समान भाग पुष्पा देवी पत्नी संजय अर्गल पुत्री रोशनलाल

					हि 209 जाति जाटव मोहकम वा द्वारिका नावा लज्जाराम महादेवी गुड़डी पणी ब गुडिया नावालिंग पुत्रीयां लज्जाराम सरप मा खुद बत्तो बेवा लज्जाराम हि. 0.19 भूमि स्वामी श्रीमति कैलाशी पत्नी बारेलाल जा जाटव रकवा 0.16 हैकटेयर बैजनाथ रघुवीर बालकिशन धारासिंह पुत्राण हीरालाल उर्मिला पुत्री हीरालाल हिं 0.20 भूमिस्वामी साहबसिंह पु रामसिंह लीलावती राजकुमारी नावा पुत्री रामसिंह सर भाई खुदाहि 0.31 भूमिस्वामी बैजन्ती बेवा पहलूराम उर्फ पहलू हि 1/3 केदार पुत्र विकम कैलाशी पुत्री विकम समान भाग 2/3 दर भाग रकवा 0.17 नारायण बारेलाल बनवारी पि भीखा समान भाग रकवा 1.63 जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामस्वरूप पुत्र गोरेलाल जाति बघेले पता निवासी ग्राम 0.49 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता 40.68
19	497	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	गजेन्द्रसिंह पु कदमसिंह 1/2 गुठाठ 0 निं ग्राम रामस्वरूप पुत्र गोरेलाल हि 1/2 जाति बघेले पता निवासी पिपरसा भूमिस्वामी भू राजस्व 1.70
20	501	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.464	मु त्रिवेणी बेवा द्वारिका सिंह मिथलेश बेवा गिर्जसिंह अखलेश सिंह पु द्वारिका सिंह गौरवसिंह पुत्र गिरज सिंह जाति गुर्जर नि. एम एस रोड
21	502	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.188	गेंदालाल बेतालसिंह पि पंचमसिंह समान भाग रकवा 0.24 जगदीश वा टीकाराम छोटू नावा पु मोतीराम 0.75 सर पिता खुदा मोतीराम जाति बघेले पता नि. पिपरसा भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता 10.50
22	503	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.233	गेंदालाल बेतालसिंह पि पंचमसिंह समान भाग रकवा 0.24 जगदीश वा टीकाराम छोटू नावा पु मोतीराम 0.75 सर पिता खुदा मोतीराम जाति बघेले पता नि. पिपरसा भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता 10.50
23	532	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.096	श्रीमती गीता सिंह पत्नी राजूसिंह कंसाना जाति गुर्जर ठाकुर पता नि एम एस रोड मुरैना भूमिस्वामी भू राजस्व 7.25
<b>कुल किता 23</b>				<b>2.286</b>	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभागित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पथर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विषेष :-**धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपर्युक्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 08-अ-82-भू-अर्जन-2019-मुरैना-5091-2

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत])

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ ( उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण ) ग्राम- पिपरसा प0ह0क0- 91 राठनि० वृत्त- 02 तहसील -बानमौर उपखण्ड- बानमौर जिला-मुरैना में कुल 0.586 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निमानुसार भूमि जो कि ग्राम- पिपरसा, प0ह0क0-91 राठनि० वृत्त- 02 तहसील- बानमौर उपखण्ड- बानमौर जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	बानमौर
ग. ग्राम	पिपरसा
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.586 हैक्टेयर
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:-	

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	306	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	अजमेर गेंदालाल बहादुर बेताल राजवीर पि पंचम उर्फ पंचा लाली गीता पाना पुत्रियां पंचम उर्फ पंचा बैकुण्ठी बेवा पंचम उर्फ पंचा हि 1/6 रामेश्वर पि० चन्दना जाति गडरिया पता नि० ग्राम 1/6 भाग भूमिस्वामी विद्याराम मोतीराम पि. शंकर जाति गडरिया पता नि ग्राम भूमि स्वामी रामप्यारी किशनदेई पुत्रियां शंकर जाति गडरिया पता नि. ग्राम 4/15 समान भाग भूमिस्वामी मु मायादेवी वेवा रामस्वरूप राजेन्द्र सिंह जगदीश सज्जय पुत्रान रामस्वरूप अनीता रीना ममता पुत्रियां रामस्वरूप जाति बघेल नि पिपरसा 1/9 पुनियां पुत्री सलिका 1/3 जाति गडरिया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी महेन्द्रसिंह वीरेन्द्रसिंह,लोकेन्द्रसिंह,रामप्रसाद,कैलाशीबाई,बड़ी गुडिया,छोटी गुडिया पु. रामप्रसाद मु रामबेटी बे. रामप्रसाद समान भाग 1/15 जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराठशा० 192
2	308	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	रामस्वरूप सूरत राम पिता गोरे 8/9 द्रोपती पुत्री गोरे 1/9 जाति गडरिया पता नि ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता 4.53

3	310/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.022	मोहनसिंह मुरारीलाल बालिग भोलाराम. नाबा० पि पतिराम सर माँ खुद जाति गंड पता नि ग्राम भूमिस्वामी मु धनो बेवा पतिराम जाति गडरिया पता नि ग्राम 1/4 समान भाग भूमिस्वामी रामलखन बनवारी भीमसेन पुत्रगण भरोषी उर्मिला पुत्री भरोषी भागवती बेवा भरोषी हि 1/4 धर्मेन्द्र पुत्र भागीरथ जानकी पुत्री भागीरथ पि. तातिया जाति गडरिया पता नि ग्राम 1/6 समान भाग भूमिस्वामी रामकिशोर ईशु नाबा पुत्रगण लक्ष्मी सरप माँ खुद मीरा बेवा लक्ष्मी 1/12 समान भाग भूमि स्वामी जंगजीत पु. रघुनाथ कैलाशी, रामवती रामबेटी पुत्रियान रघुनाथ जाति गडरिया पता नि ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी भूराजस्व बिलमुक्ता 21. 50
4	501/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	पूरनसिंह पु. गंगाराम केतुकी बेवा गंगाराम जाति गडरिया पता नि ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 4.55
5	503	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.130	हुकमा नारायणी बेवा जसराम रामवरन मु जसराम मु राजनदेवी बेवा उदयसिंह धर्मवीर नागेन्द्र सतेन्द्र पुत्रान उदयसिंह जाती बधेल रामश्री पुत्री विहारी जाति गडरिया पता नि ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भूराशा० 196 २.
6	361/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	पूरनसिंह पुत्रराजाराम सुन्दरिया पुत्री राजाराम जाति गडरिया पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भूराशा० 281
कुल किता		06		0.586	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में  
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के  
पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले  
संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न  
उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने  
हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की  
परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को  
छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी  
कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

.. :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन को  
अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40  
के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 04-अ-82-भू-अर्जन-2019-मुरैना-5373

मुरैना, दिनांक 16 जून 2020

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झौसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम- नूराबाद प0ह0क0- 91 राठनी0 वृत- 02 तहसील- बानमौर उपखण्ड- बानमौर जिला-मुरैना में कुल 1.12 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निनानुसार भूमि जो कि ग्राम- नूराबाद, प0ह0क0-91 राठनी0 वृत- 02 तहसील- बानमौर उपखण्ड- बानमौर जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	मुरैना
ख.	तहसील	बानमौर
ग.	ग्राम	नूराबाद
घ.	लगभग क्षेत्रफल	1.12 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
					(राजस्व अमिलेख अनुसार)
1	2	3	4	6	7
1	15/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.127	उदयभानसिंह पिता शिवनंदन सिंह जाति गुर्जर नि ग्राम भूमिस्वामी
2	679/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.169	मीराबाई बेवा विद्याराम दलीप सतेन्द्र पुत्रगण विद्याराम स0 भाग0 जाति गुर्जर नि0 ग्राम भूमिस्वामी
3	687	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	मुशीसिंह बेतालसिंह कोमलसिंह पुत्रगण रामनाथ सभा0 हि 3/5 राकेश पिता शिवनारायण हि 1/5 मीरा बेवा हरिमोहन रामहरी अन्नु पुत्रगण हरिमोहन पिंकी पूजा रीतेश पुत्रियां हरिमोहन समान भाग हि 1/5 जाति गु0ठा0 निवासी ग्राम भूमिस्वामी
4	688	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.276	रामदीन, समरसिंह, पिता अन्तरामसिंह सभा0 हि 2/4 मैता बेवा रामखत्यार आशीष पंकज पिता रामखत्यार लालो सुकुन्तला मनीषा पुत्रियां रामखत्यार सभा0 हि 1/4 मुलाली बेवा जनकसिंह सुनील आकाश नावा पुत्रगण जनक सिंह नावा सर तातु रामदीन हि 1/4 जाति गु ठा नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
5	689	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.190	शीलाबाई बेवा रघुनाथ नरेश राहुल नावा0 पिता रघुनाथ सर0 मा खुद समान भाग जाति गुर्जर निवासी ग्राम
6	695	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.122	गिरज पुत्र ओमप्रकाश जाति गुर्जर नि ग्राम भूमिस्वामी
7	698	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	बीरेन्द्र पुत्र बैजनाथ जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमिस्वामी
कुल किता		07		1.12	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में लघित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अन्तर्गत दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निम्न रही है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुभिभागीय अधिकारी (राजरवे) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :-धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तक्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अन्यावश्यकता होने से समुदित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये जाते हैं। अतः इसमें अधिनियम के अन्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपर्यंत लागू नहीं होंगे।

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश**  
**“आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” के तहत निजी भू-धारक की भूमि के क्रय का प्रस्ताव.**

क्र. 02-अ-82-री-2020

सिलवानी, दिनांक 4 जून 2020

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की “आपसी सहमति से क्रय नीति” के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण समान भोपाल द्वारा भानपुर चुन्हेटिया मार्ग पर तेन्दूनी नदी पर पुल निर्माण हेतु के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व सवधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य ना होगी एवं भूमि को जल लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

क्रं.	भूमि स्थित ग्राम का नाम	तहसील	जिला	भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)	खसरा नं.	क्रय के लिये प्रस्तावित रकम हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
1	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	लक्ष्मी प्रसाद आ० बाबूलाल जाति— केवट नि.ग्रा. भूमि स्वामी	22/2/2 21/2/2/2	0.021 <u>0.051</u> <b>0.072 (सि)</b>
2	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	सकुन बाई बेवा रामकेशर केवट एवं अन्य जाति— केवट	21/2/1	0.27 (सि)
3	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	लाखन सिंह आ० बाबूलाल जाति— केवट नि.ग्रा. भूमि स्वामी	28/2	0.072 (सि)
4	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	हीरालाल आ० गयाप्रसाद जाति— केवट नि.ग्रा. भूमि स्वामी	47 48	0.056 <u>0.093</u> <b>0.149 (सि)</b>
5 (अ)	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	हीरालाल रामकृष्ण आ० गयाप्रसाद गोविन्द आ० नहा हरिबाई बेवा चंत्रा बगैरह	24 25	0.049 <u>0.028</u> <b>0.077 (सि)</b>
5 (ब)	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	हीरालाल रामकृष्ण आ० गयाप्रसाद गोविन्द आ० नहा हरिबाई बेवा वतरा बगैरह	26	0.019 (अ;सि)
6	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	यशवत सिंह आ० उमराव सिंह जाति— कुर्मी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	127/2	0.202 (सि)
7	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	माधोरिह आ० उमराव सिंह जाति— कुर्मी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	127/4	0.104 (सि)
8	भानपुर	सिलवानी	रायसेन	कमल सिंह आ० नमदा प्रसाद जाति— कुर्मी नि.ग्रा. भूमि स्वामी	275/47	0.009 (सि)
9	चुन्हेटिया	सिलवानी	रायसेन	इन्द्रजीत सिंह आ. धर्मवीर सिंह जाहि— राजगौड नि.ग्रा— चुन्हेटिया	182	0.162
10	चुन्हेटिया	सिलवानी	रायसेन	उमिला बेवा— सुरेश कुमार धगेन्द्र,	177	0.121
				धीरन्द्र, जीतेन्द्र आ. सुरेश कुमार जाति— ब्राह्मण नि.ग्रा— चुन्हेटिया		<u>0.036</u> <b>0.157</b>
11	चुन्हेटिया	सिलवानी	रायसेन	राजकुमारी बेवा महात्म सिंह आ. दिलदार सिंह जाति— राजगौड नि. ग्रा चुन्हेटिया	178	0.012
12	चुन्हेटिया	सिलवानी	रायसेन	नीलेश कुमार आ० दिलेश कुमार जाति राजगौड	176	0.064

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 1450-भू-अर्जन-2020

रतलाम, दिनांक 8 जून 2020

रतलाम शहर में रेल्वे समपार को 81 एवं सुभाषनगर रतलाम रेल्वे ओवर ब्रीज बनाये जाने हेतु ग्राम विरीयाखेड़ी तहसील रतलाम की भूमि एवं उस पर स्थित भवन एवं परिसम्पत्तियों के संबंध में चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11(1) की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11(1) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

## ग्राम का नाम—ग्राम विरीयाखेड़ी रतलाम पटवारी हल्का क्रमांक-27

-::: अनुसूची :::-

## SIDE -A

क्र.	ग्राम / न्याय के भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम, जाति	सर्वे क्रमांक / म्यु नंबर जिसमें संचनना स्थित है	वर्तमान में भूमि का प्रकार	भवन का स्वामित्व / शासकीय पद्धता / अतिक्रमण	दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक लम्बाई चौड़ाई फिट में	अंजित किये जाने वाला क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	अंजित किये जाने वाला क्षेत्रफल (वर्ग फीटर)
1	2	3	4	5	6	8	9
1	विश्वम्भर, गोविन्दकुमार, ईश्वरीप्रसादलक्ष्मीनारायण पिता गंगाधर ग्राहण निवासी जावरा रोड रतलाम	सर्वे क्रमांक 150/1/1 रक्का 0.280	वृषि भूमि	-	-	218-75 वर्गमीटर	218.75
2	शेखर 1पेता भवरलाल कासवा निवासी-घासं बाजार रतलाम	सर्वे क्रमांक 150/41, 150/44, 150/66	मोके पर बालाजी टाउनशीप कलोनी बनी हुई है। कालोनी का गेट एवं रास्ता एवं सर्विस एरिया में 2.00 वर्गमीटर में पक्का निर्माण गोडाउन एवं 7.75 वर्गमीटर पर गोडाउन की बाउण्डी बनी है। उक्त कालोनी नगर निगम को हस्तातित हो गई है। भूमि पर अधिग्रहण में आ रही भूमि गेट, रास्ता एवं सर्विस एरिया होने से मुआवजा वितरण नहीं किया जा सकता है।	-	-	137-25 वर्गमीटर	137.25
3	म0प्र0 मण्डल रतलाम शासकीय	सर्वे नंबर 161/02	म0प्र0 विद्युत मण्डल रतलाम	-	-	255 वर्गमीटर	255

उपरोक्तानुसार भूमि का मोके पर खसरा नक्शा का मिलान किया गया गया मोके कि स्थिति के अनुरूप मोके पर सर्वे कार्य किया गया गया मोके पर काबिज व्यक्तियों के हाथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नजरीन नक्शा बनाया गया मोके पर सेतु निगम लोक निर्माण विभाग के हाथ लगाये गये निशानात के आधार पर

अधिग्रहित किये जाने वाले क्षैत्रफल की मण्डा कि गई । मोके पर घनी आवादी है भूआभिलेखों में निजी भूमि में खसरा में पृथक नाम है भू-अभिलेखों में नामांतरण करवायें गये हैं इस बाबत नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी गई है। खसरा नकल एवं नक्शा संलग्न हैं जिसके अनुसार मोके पर ग्राम विरियाखेडी तरफ की ओर जाने वाला मार्ग जो कि विगत 50 से अधिक वर्षों से भी कायम है मानकर नजरी नक्शा तैयार किया गया ।

रतलाम शहर में रेल्वे समपार को 81 एस सुभाष नगर फाटक पर आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु विरियाखेडी तरफ भूमि अर्जन के वर्णित सर्वे कमांक छूट जाने से तहसीलदार, रतलाम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट त गणना पत्रक अनुसार रेल्वे ओवर ब्रिज बनायें जाने हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत प्रांरभिक जाँच उपरांत अधिसूचना प्रकाशन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार सर्वे कमांक प्रस्तावित किये जाते हैं :—

(1) पूर्व से कायम सुभाषनगर-विरियाखेडी मार्ग के अतिरिक्त मार्ग कि उत्तरी दिशा में साईड

कमांक	सर्वे कमांक	सर्वे कमांक का कुल रक्का	आहरण किये जाने वाली भूमि का रक्का वर्गमीटर में	विवरण
निजी भूमि सर्वे कमांक				
1	सर्वे कमांक 150/1/1 रक्का 0.280		218.75 वर्गमीटर	
2	सर्वे कमांक 150/41, 150/44, 150/66		137.25 वर्गमीटर	
योग निजी भूमि			356.00 वर्गमीटर	
शासकिय भूमि सर्वे कमांक				
3	सर्वे नंबर 161/02		255 वर्गमीटर शासकिय	
योग शासकिय भूमि			255 वर्गमीटर	

इस प्रकार रतलाम शहर में रेल्वे समपार को 81 एस सुभाष नगर रतलाम रेल्वे ओवर ब्रिज बनाये जाने हेतु उपरोक्तानुसार भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता होती है ।

2. अर्जित की जा रही भूमि कृषि जौत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती है ।
3. अर्जित की जा रही भूमि नगर निगम (नगर पालिक निगम रतलाम के वार्ड कमांक 15 ) के सीमा में आता है ।
4. स्थल निरीक्षण में पाया गया कि भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि में सार्वजनिक निर्माण जैरं शमशान,,मंदिर, मस्जिद आदि प्रभावित नहीं होते हैं ।
5. मध्यप्रदेश शासन की आर्दश पर्यावरण नीती के प्रावधान प्रशानाधीन भूमि र लागू नहीं होते हैं ।
6. अर्जित की जाने वाली भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों का निरीक्षण मुझ मौजा पटवारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में वर्तमान गाईड लाईन अनुसार प्रस्तुत किया है ।

7. मोके पर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष डिमार्केशन किया गया कार्यवाही के दौरान मोके पर कोई मोखिक एंव लैखी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कि गई है। अन्य भूमिस्वामियों से सहमति पत्र हेतु कार्यवाही किया जा रहा है।

भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन कर अधिसूचना की प्रति धारा 4 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात समिति का निर्माण करने बाबत आयुक्त महोदय नगर पालिका निगम रतलाम को एंव अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग रतलाम को समिति का निर्माण करने हेतु पत्र जारी किया जाना उचित है जो समिति की अध्ययन रिपोर्ट प्रेशित की जावेगी आगामी दिवस में अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कर सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्याकांन एंव प्रकाशन किया जा कर धारा 7 के अन्तर्गत विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन करवाया जा सकेगा परन्तु मोके पर ऐसी कोई सामाजिक सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।

भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 21 हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना उपरांत कतिपय दशाओं में आवश्यकताओं की दशाओं में कलेक्टर महोदय अधिनियम के अन्तर्गत कब्जा ले सकेंगे जब भविष्य में ऐसी आवश्यकता होने पर। भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अनुरूप प्रारंभिक अधिसूचना हेतु उपरोक्तानुसार सर्व नगर भूमि जों कि पटवारी नक्शे में अकिंत की जाकर खसरा सलग्न है का अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत निमानुसार रिति से सलग्न प्रस्ताव को प्रकाशीत की जावे:-

- (क) राजपत्र में
- (ख) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनमें से एक प्रादेशिक भाशा में हों।
- (ग). नगर निगम में तथा जिला कलेक्टर,उपखण्ड मजिस्ट्रेड के तथा तहसील कार्यलय में स्थानिय भाषा में।

1	सर्वे कमांक 150/41, 150/44, 150/66	मोके पर बालाजी टाउनशीप कालोनी बनी हुई है। कालोनी का गेट एंव रास्ता एंव सर्विस एरिया में 2.00 वर्गमीटर में पक्का निर्माण्या गोडाउन एंव 7.75 वर्गमीटर पर गोडाउन की बाउण्डी बनी है। चक्कत कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित हो गई है। मोके पर अधिग्रहण में आ रही भूमि गेट,रास्ता एंव सर्विस एरिया होने से मुआवजा वितरण नहीं किया जा सकता है।	निजी (चक्कत कालोनी नगर निगम को हस्तांतरित हो गई है।)			137.25
---	---	---	--	--	--	--------

1. भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण :- अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड रतलाम शहर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रुचिका चौहान, कलेक्टर एंव पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 27-अ-82-19-20-घाटपिपरिया-डोलीढाना-5338

बैतूल, दिनांक 8/9 जून 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हेक्टेएर)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (मोप्र०)	मुलताई	घाटपिपरिया	1.409	काठी लघु जलाशय

**अनुसूची - 2**  
( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हेक्टेएर	अर्जित रकबा हेक्टेएर
1	2	3	4	5
1	बलराम, पप्पू, मनीराम, बिरमती, कलसीया, तेली पिता रामदास, ओड़ो पिता रामदास जाति मेहरा, सा.देह	565/1	0.255	0.255
2	शिवजी, तुकाराम पिता अमरसिंह, गणराज, मुन्ना, हेमराज पिता शंकर, अंजनी, इन्दा पिता शंकर, जाति मेहरा, सा.देह	565/2	0.259	0.259
3	जसवंत पुत्र शंकर, मुरली पत्नी माधो, जाति मेहरा, सा.देह	567	0.166	0.166
4	सुशीला पत्नी रामलाल, सा.देह	566 570	0.299 0.150	0.449
5	कुन्जीलाल, रावजी पिता ढोल, रावजी, शिवपाल पिता माधो, जाति भोयर, सा.देह	572	0.226	0.080
6	धारा रामप्यारी पिता मोधे, जसवंत पिता शंकरसिंह, कुसुमवती, रामकिसन पिता मोधे, जाति पंवार, सा.देह	568	0.631	0.200
	योग:-		1.986	1.409

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हेक्टेएर)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (मोप्र०)	मुलताई	डोलढाना	1.258	काठी लघु जलाशय

**अनुसूची - 2**  
( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हेक्टेएर	अर्जित रकबा हेक्टेएर
1	2	3	4	5
1	फागू पुत्र शिवजी, जाति पंवार, सा.देह	22 28/3	0.184 0.081	0.072 0.060
2	पन्ना पुत्र इठोबा, जाति पंवार, सा.देह	21	0.121	0.121

3	सतीश, जितेन्द्र पिता बाबूलाल, जाति पंवार, सा.देह	19	1.173	0.573
4	जसवंत पुत्र शंकर, मुरली पली माधो, जाति मेहरा, सा.देह	165	0.212	0.212
5	रामकिशन, धारा पुत्र माधो, रामप्यारी, कुसुमवती, पुत्री माधो, मुलती बेवा माधो, जसवंतसिंग पुत्र शंकरसिंग, कुशलिया बेवा शंकरसिंग, जाति मेहरा, सा.देह	164	0.424	0.220
	योग:-		2.195	1.258

(2) चूंकि काठी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का पूरक अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2)के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की बेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया।

क्र. 26-अ-82-2019-20-कचरबोह-5337

बैतूल, दिनांक 9 जून 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आमला	कचरबोह	4.824	पस्तलई लघु जलाशय

### अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	167/1	1.000	0.200	गजानंद व. बालकिशन
2	216/3	0.780	0.070	गितेश सतीश गुलाब व. हनस हनस व. लोधू
	216/19	0.700	0.700	
	216/17	0.530	0.130	
3	24/1	0.230	0.040	मुकेश वल्द रामप्रसाद जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4	24/2	1.767	0.530	हरीप्रसाद, छोटेलाल जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व
5	24/3	0.230	0.060	कमलेश वल्द रामप्रसाद जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	24/5	0.210	0.190	
6	24/7	0.510	0.140	झाड़ु वल्द बाबुलाल जाति गौली पता सा. देह भूमि
7	167/3	1.470	0.070	बालमुकुन्द वल्द कालू जाति गौली पता निवासी ग्राम पस्तलाईमाल भूमि स्वामी भुराशा.
8	167/4	0.185	0.140	कुसमा बेवा कालू शांता पिता कालु जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भुराशा.
9	216/1	0.364	0.264	रामू पिता मंगल पता सा. देह भूमि स्वामी
10	216/5	0.364	0.210	बुद्ध सुदन वल्द अमरलाल गोड पता सा. देह भूमि स्वामी
	216/7	0.202	0.180	
	216/12	1.214	0.260	
11	216/6	1.073	0.630	रमिया बेवा अमरु, रमेश, सुरेश, अमरु, रसिया सुगरती पिता अमरु, पता सा. देह भूमि स्वामी
	216/8	0.627	0.070	

क्र.	खसरा नं.	कुल रकवा	कुल अर्जित रकवा है-	धारक का नाम
1	2	3	4	5
	216/10	1.586	0.080	
	216/13	1.287	0.330	
12	224/2	0.826	0.060	चन्नू वल्द सम्मु जाति गोड पता निवासी ग्राम भूमि
13	224/5	0.207	0.080	ईमरतलाल वल्द रवनु जाति गोड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
14	224/6	0.206	0.110	हमीलाल वल्द रवनु जाति गोड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
15	224/7	0.206	0.120	देवीलाल वल्द रवनु जाति गोड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16	224/8	0.206	0.160	मुन्नीलाल ना.बा. वल्द रवनु वली मां तुलसी बेवा रवनु जाति गोड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
महायोग		15.980	4.824	

- चूंकि पसतलई लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ढीमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

[मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 की धारा 4(1) के अंतर्गत]

नर्मदा घाटी विकास विभाग

ढीमरखेड़ा, दिनांक 10 जून 2020

क्र. 349-भू.आ.-20.— राज्य शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1141/भू.आ. तारीख 25 अक्टूबर 2019 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग—1 में दिनांक 29 नवम्बर 2019 में प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू—सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई) पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिये) भूमि का उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) अधीन तारीख 8 नवम्बर 2019 को एक्सप्रेस न्यूज कटनी 7 नवम्बर 2019 को दैनिक भारती कटनी दोनों में प्रकाशित किया गया था।

और आक्षेप प्राप्त हुये थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है आक्षेपों को अनुज्ञात करा दिया है।

अतः अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि

का माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये अस्थाई अर्जन कर लिया जाना चाहिये ।

और अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1)(2) एवं (3) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से रहित उपयोग के अधिकार अस्थाई रूप से यथास्थिति में राज्य शासन में निहित होने के बजाय परियोजना विभाग में निहित निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, पाइप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव करने वाले विभाग में निहित हो जावेंगे ।

### अनुसूची-2

कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

- ग्राम दुर्घटी पिपरिया प.ह.नं.5 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 1/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.369 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
256	0.004	241	0.005
255	0.016	239	0.002
418	0.005	221	0.002
252	0.006	222	0.009
252	0.009	223	0.095
251	0.011	224	0.008
248	0.005	54	0.001
267	0.006	51	0.013
245	0.006	52	0.012

242	0.001	360	0.018
242	0.002	356	0.002
357	0.001	224	0.003
359	0.005	226	0.001
364	0.003	57	0.005
365	0.010	78	0.004
367	0.003	90	0.002
368	0.002	432	0.002
369	0.003	51	0.005
423	0.003	73/2	0.002
387	0.003	74	0.002
367	0.003	51	0.003
368	0.001	49	0.002
366	0.001	48	0.005
369	0.003	47	0.004
370	0.007	46	0.006
381	0.003	131	0.005
380	0.001	133	0.003
379	0.003	134/1	0.005
399	0.001	159	0.001
252	0.001	33	0.002
418	0.002	34	0.007
253	0.002	29	0.004
250	0.003	26	0.014
188	0.004	16	0.027
187	0.005	17	0.007
177	0.002	424	0.001
176	0.005	9	0.010
172	0.001	10	0.004
173	0.001	11	0.004
		Total	0.369 Ha.

## 2. ग्राम खिरसारू प.ह.नं. 4 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी

प्र.क्र. 2/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.261 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
12	0.013	23	0.008
17	0.009	38/1	
17	0.007	38/2	0.001
25	0.015	42	0.025
43	0.008	205	0.001
86	0.007	202	0.011
87	0.003	42	0.022
112	0.012	48	0.010
111	0.006	51	0.006
148	0.002	55	0.012
149	0.006	61	0.012
158	0.004	208	0.016
156	0.001	42	0.002
157/2	0.002	41	0.005
83	0.006	39	0.001
82	0.003	40	0.010
124	0.002	3	0.012
123	0.001	2	0.003
128	0.005	49	0.002
203	0.003	53	0.004
		Total	0.261 Ha.

## 3. ग्राम पोंडी प.ह.नं. 2/105 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी

प्र.क्र. 3/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.444 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
74	0.011	209	0.007
93	0.005	208	0.007
92	0.006	207/1,2,3	0.011
91	0.007	201	0.009
90/1-2	0.010	198/1,2,3	0.006
89	0.009	388/1,2,3	0.002
87	0.005	390	0.010
84	0.007	392/1-2	0.008
83	0.007	185	0.001
59/1	0.005	393	0.008
59/2	0.004	394	0.005
58	0.003	396	0.009
56	0.010	373	0.005
55	0.001	370/1,2,3	0.010
132	0.003	369/1,2	0.005
130	0.011	92	0.001
130	0.006	91	0.001
76	0.003	103	0.003
75	0.010	130	0.002
71	0.007	215	0.007
38	0.001	216	0.004
39	0.008	224	0.006
37	0.007	227	0.002
59	0.006	226	0.004
60	0.006	125/1	0.007

66	0.005	362/2	0.011
65	0.003	380	0.001
40	0.007	379	0.002
40	0.012	367	0.005
28	0.009	369	0.002
119	0.018	216	0.002
121	0.001	218	0.004
210	0.002	219	0.001
208	0.003	220	0.006
207	0.005	393	0.001
206	0.002	394	0.005
203	0.003	397	0.003
388	0.005	410	0.008
390	0.001	409	0.001
114	0.008	412	0.001
120	0.015		
		Total	0.444 Ha.

4. ग्राम चपुहला प.ह.नं. 6 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी

प्र.क्र. 4/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.334 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
117	0.008	105/2	0.003
107	0.019	104	0.003
110	0.009	92	0.008
92	0.008	95	0.010
106/2	0.005	94	0.015
105/3	0.002	82	0.012
100	0.005	215	0.006
81	0.001	213	0.001

79	0.035	217/1,2,3	0.006
79	0.004	215	0.006
10	0.016	268	0.002
11	0.002	266	0.001
12/3	0.003	267	0.001
12/1	0.009	79	0.001
12/2	0.017	9	0.007
92	0.001	6/6	0.001
91	0.002	7/2	0.002
89	0.002	7/1	0.002
88	0.002	2	0.003
86	0.003	27	0.003
85	0.003	29	0.008
174	0.003	30	0.003
175	0.003	52/2	0.002
176	0.004	52/3	0.003
150	0.005	39	0.001
79	0.005	50/8	0.003
78	0.010	50/7	0.005
76	0.001	50/13	0.005
75	0.003	50/18	0.003
74	0.006	50/17	0.004
307	0.002	236	0.002
214	0.006	Total	0.334 Ha.

5. ग्राम बनहरी प.ह.नं. 5 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी

प्र.क्र. 5 / अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.185 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
114/1K	0.031	106	0.007
115	0.046	80	0.004
115	0.002	81/1	0.004
115	0.008	49	0.001
104	0.002	115	0.002
115	0.003	98	0.006

82/1	0.009	90	0.003
73	0.001	91	0.002
72/1	0.004	62	0.005
54	0.001	67/3	0.011
53/1	0.007	21	.001
43	0.005	29/1	.004
42/1	0.001	22	.004
41/1-2	0.004	27/1	0.006
		Total	0.185 Ha.

6. ग्राम मङ्गाना प.ह.नं. 10 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी

प्र.क्र. 6/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.674 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
28	0.015	362	0.021
26	0.003	363	0.055
20	0.013	364	0.008
19	0.012	370	0.012
18	0.009	20	0.004
40	0.004	276	0.012
15	0.024	273	0.006
15	0.013	289	0.006
50	0.002	285	0.001
48	0.038	20	0.001
61	0.054	25	0.001
62	0.022	24	0.004
66	0.005	26	0.002
67	0.002	2	0.002
74	0.023	15	0.010
75	0.018	9	0.003
76	0.009	8	0.001
80	0.009	15	0.004
82	0.001	43	0.001
79	0.007	45	0.004
356	0.009	266	0.001

265	0.003	103	0.001
273	0.001	346	0.005
262	0.003	344	0.001
261	0.001	342	0.002
259	0.004	340	0.005
258	0.001	75	0.001
293	0.003	76	0.003
294	0.007	72	0.001
306	0.001	368/1-2	0.006
303	0.005	369	0.001
309	0.004	385	0.005
314	0.009	384	0.003
315	0.001	386	0.007
316	0.004	390	0.002
505	0.001	392	0.004
48	0.002	391	0.004
61	0.003	396	0.002
47	0.003	397	0.001
134	0.003	396	0.006
138	0.003	396	0.003
136	0.001	403	0.001
137	0.002	399	0.007
48	0.004	401	0.009
53	0.004	453	0.003
52	0.004	454	0.002
75	0.001	478	0.009
85	0.006	476	0.006
83	0.001	477	0.001
80	0.002	484	0.004
92	0.002	485	0.003
93	0.001	486	0.005
347	0.006	489	0.016
		Total	0.674 Ha.

## 7. ग्राम डहुली प.ह.नं. 10 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी

प्रक्र. 7 /अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.544 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
288	0.012	537	0.011
329	0.032	539	0.010
332	0.028	538	0.019
387	0.005	534	0.002
378	0.008	329	0.008
377	0.005	326	0.007
374	0.004	322	0.001
375	0.003	320	0.002
358	0.015	319	0.002
358	0.006	318	0.002
361	0.011	299	0.001
360	0.010	358	0.002
362	0.002	355	0.002
126	0.020	354	0.002
125	0.010	350	0.002
405	0.004	349	0.002
412	0.010	348	0.004
413	0.012	346	0.005
417	0.015	142	0.001
419	0.005	142	0.001
419	0.014	143	0.001
634	0.006	144	0.002
633	0.005	145	0.002
636	0.016	419	0.002
621/763	0.012	417	0.001
638	0.003	418	0.004
620	0.018	635	0.004
619	0.004	669	0.001
623	0.004	668	0.004
612	0.019	419	0.003
605	0.010	416	0.001
598	0.004	421	0.002

601	0.007	423	0.002
600	0.008	425	0.004
105	0.003	614	0.001
104	0.004	597	0.002
103	0.001	616	0.001
16	0.003	649	0.003
19	0.007	650	0.002
20	0.001	657	0.002
21	0.001	656	0.001
22	0.003	655	0.003
619	0.001	699	0.001
623	0.001	701	0.001
611	0.003	702	0.001
609	0.001	709	0.001
610	0.002	708	0.003
441	0.003	707	0.001
442	0.003	721	0.001
439	0.006	722	0.002
437	0.001	725	0.001
436	0.001	514	0.008
605	0.001	498	0.004
613	0.003		
		Total	0.544 Ha.

8. ग्राम भनपुराकला प.ह.नं. 11 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 8/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.194 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
111/1	0.009	147	0.004
140	0.012	154/574	0.005
139/4	0.024	170	0.003
148	0.024	173	0.001
151/1	0.034	174	0.001
168	0.007	175	0.007
170	0.010	176	0.002
131	0.018	179	0.008

173	0.012	183	0.007
148	0.003	213	0.001
152	0.001	Total	0.194 Ha.

9. ग्राम धरवारा प.ह.नं. 8 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 9/अ-82/19-20 कुल रकबा 1.243 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
427	0.009	1021	0.011
427	0.029	1023	0.008
426	0.011	1022	0.009
410	0.001	1023	0.005
411	0.006	1034	0.009
423	0.006	1036	0.010
422	0.012	1038	0.004
421	0.011	1035	0.007
420	0.004	1047	0.028
419	0.009	1046	0.005
418	0.013	1134	0.023
382	0.020	1133	0.014
377	0.014	1174	0.006
378	0.001	1131	0.011
380	0.040	1177	0.024
542	0.007	1178	0.021
540/11	0.038	1179	0.017
540/12		1086	0.010
540/9		1085	0.016
538	0.002	1096	0.003
531	0.004	1080	0.018
538/5	0.006	427	0.003
532	0.001	406	0.004
533	0.009	405	0.012
534	0.017	401	0.006
535	0.010	336	0.004
525	0.028	337	0.003
524	0.006	338	0.001

523	0.001	329	0.006
490	0.020	330	0.004
492	0.012	265	0.002
487	0.004	264	0.002
486	0.007	263	0.002
1020	0.001	267	0.008
275	0.006	448	0.011
274	0.003	449	0.001
273	0.002	1023	0.001
217	0.003	1036	0.002
216	0.003	1035	0.001
215	0.008	1034	0.002
9	0.001	1027	0.003
8	0.003	1028	0.007
7	0.003	1014	0.002
7	0.009	1007	0.004
19	0.006	1283	0.002
60	0.004	1003	0.004
59	0.003	1001	0.005
72	0.003	1000	0.001
58	0.001	716	0.004
339	0.006	256/1-2	0.001
346	0.004	654	0.002
348	0.001	663/1,2,3	0.003
274	0.001	662	0.002
1277	0.004	664	0.003
277	0.003	666	0.009
278	0.003	669	0.003
279	0.002	642	0.005
1298	0.003	641	0.003
295	0.001	585	0.001
296	0.003	586	0.002
297	0.008	1023	0.006
206	0.003	482	0.001
205	0.001	481	0.002
153	0.004	1039	0.001
215	0.006	478	0.001
209	0.019	477	0.003

198	0.001	476/1-2	0.003
7	0.005	472	0.003
5/1-2	0.009	473	0.006
4	0.001	474	0.006
490	0.002	464	0.008
517	0.017	1225	0.002
446	0.003	463/1-2	0.001
445	0.002	462	0.005
1230	0.012	702	0.001
1131/1-2	0.001	1068	0.002
1175	0.009	1179	0.005
1173	0.002	1186	0.003
1031/1-2	0.005	1185	0.007
1130	0.003	1182	0.002
1129	0.003	1188	0.002
1128	0.007	1189	0.006
1125	0.004	1181	0.001
1124	0.008	1190	0.008
1102	0.002	1192	0.009
1103	0.007	1211	0.016
1115	0.007	1212	0.009
1112	0.006	1214	0.001
1111	0.002	1086	0.004
1110	0.007	1094	0.002
1111	0.001	1095	0.003
1113	0.003	1098	0.003
1069/5	0.003	1099	0.004
1069/4	0.003	1074	0.004
1068	0.004	1073	0.004
1039	0.001	1072	0.004
703	0.007		
		Total	1.243 Ha.

10. ग्राम कोठी प.ह.नं. 65 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 10/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.111 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
120	0.007	162	0.002
124	0.005	286	0.003
124	0.006	302	0.013
127	0.003	304	0.008
127	0.003	247	0.002
128	0.006	246	0.004
168	0.006	244	0.005
161	0.007	240	0.002
161	0.007	153	0.003
159	0.002	152	0.003
157	0.002	295	0.003
291	0.001	331	0.003
155	0.003		
		Total	0.111 Ha.

11. ग्राम बम्होरी प.ह.नं. 54 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 11/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.479 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
41	0.006	143	0.004
40	0.007	141	0.023
44	0.016	194	0.006
39	0.006	197	0.021
46	0.005	195	0.020
54	0.010	44	0.009
53	0.006	59	0.004
59	0.004	62	0.009
71	0.008	63	0.004
72	0.007	60	0.002
107	0.013	71	0.002
73	0.002	72	0.001

106	0.005	53	0.003
103	0.009	31	0.009
100	0.008	30	0.004
98	0.010	29	0.006
99	0.002	71	0.006
93	0.011	70	0.013
94	0.005	69	0.006
84	0.025	110	0.008
148	0.016	160	0.007
147	0.013	98	0.002
146	0.011	96	0.002
145	0.012	124	0.002
144	0.010	125	0.002
142	0.008	127	0.002
128	0.004	80	0.004
155/1	0.007	148	0.005
155/2		138	0.002
98	0.005	137	0.004
93	0.003	136	0.008
91	0.004	143	0.011
88	0.004	197	0.003
89	0.007		
		<b>Total</b>	<b>0.479 Ha.</b>

12. ग्राम सिवनी प.ह.नं. 33 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 12/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.135 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
9	0.004	211	0.004
8	0.002	212	0.001
60	0.002	195	0.004
59	0.003	166	0.004
58	0.001	165	0.001
75	0.003	164	0.004
74	0.002	160	0.007
187	0.008	162	0.005
188	0.005	188	0.001

190	0.008	189	0.007
192	0.002	175	0.007
193	0.003	188	0.004
194	0.002	202	0.002
168	0.001	201	0.007
72	0.005	206	0.005
78	0.003	208	0.002
220	0.008	198	0.001
216	0.007		
		Total	0.135 Ha.

13. ग्राम परासी प.ह.नं. 35 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 13/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.222 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
298	0.006	78	0.002
299/1	0.001	204	0.005
300	0.02	197	0.002
316	0.015	54	0.001
315	0.007	55	0.001
313	0.004	325	0.003
312	0.005	326	0.005
291	0.004	333	0.006
292	0.005	334	0.003
289	0.001	335/426	0.004
288	0.005	337	0.001
286	0.003	336	0.002
230	0.003	338	0.001
228	0.004	339	0.002
227/1	0.007	278	0.003
226/420	0.003	350	0.001
45/2	0.004	277	0.001
54	0.006	351	0.003
55	0.004	352	0.002
205	0.001	355/429	0.039
203	0.003	358	0.005
202	0.005	359	0.001

63	0.001	164	0.002
64	0.003	362	0.008
65	0.003	366	0.001
75	0.003	365	0.001
Total			<b>0.222 Ha.</b>

14. ग्राम पौड़ीकला प.ह.नं. 42 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी प्र.क्र. 14/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.496हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
398	0.030	1108	0.007
399	0.002	1109	0.013
395	0.015	1110	0.011
394	0.029	1112	0.007
414	0.009	1113	0.005
415	0.023	1114	0.013
416	0.032	1115	0.010
446	0.009	1117	0.010
445	0.024	1123	0.008
444	0.019	1022	0.012
427	0.002	1020	0.004
428	0.018	1020	0.004
429	0.022	1019	0.001
564	0.013	1126	0.003
574	0.003	1127	0.008
565	0.013	1130	0.013
571	0.010	1018	0.007
570	0.008	1017	0.025
1058	0.010	1036	0.023
1059	0.010	1037	0.013
Total			<b>0.496 Ha.</b>

15. ग्राम सगौना प.ह.नं. 33 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 15/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.263 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
109	0.015	352	0.007
124	0.011	294	0.002
123	0.012	292	0.011
219	0.005	288	0.013
217	0.007	58	0.005
216	0.005	61	0.007
247	0.002	48	0.008
248	0.003	39	0.002
250/1	0.007	40	0.004
254	0.010	41	0.004
255/1	0.018	181	0.002
255/2	0.001	35	0.005
327	0.009	34	0.005
328	0.003	32/1	0.001
330	0.002	31/1	0.008
329	0.006	27	0.003
325	0.004	26	0.005
324	0.002	16	0.006
303	0.007	14	0.002
304	0.005	124	0.002
307	0.002	123	0.001
305	0.008	115	0.008
351	0.007		
		Total	0.263 Ha.

16. ग्राम अकौना (वीरान) प.ह.नं. 36 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी प्र.क्र. 16/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.187 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
76	0.010	34	0.006
82	0.002	32	0.001
83	0.007	31	0.001
82	0.008	30	0.003
147	0.009	48	0.004
152	0.005	36	0.004
153	0.005	41	0.006
154	0.005	330	0.001
313	0.005	245	0.004
314	0.009	244	0.004
317	0.003	243	0.003
318	0.004	334	0.003
321	0.010	335	0.002
298	0.004	350	0.001
325	0.002	349	0.001
327	0.003	348	0.002
329	0.004	353	0.001
249	0.003	355	0.003
330	0.005	354	0.002
331	0.006	357	0.001
333	0.005	405	0.003
36	0.004	406	0.001
61	0.004	404	0.001
59	0.002	403	0.002
60	0.001	400	0.001
52	0.001	401	0.002
51	0.002	395	0.001
		Total	0.187 Ha.

17. ग्राम खिरवा पोड़ी प.ह.नं. 38 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 17/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.102 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
250	0.018	242	0.011
249	0.010	244	0.004
246	0.014	241	0.022
243	0.014	241/279	0.011
		Total	0.102 Ha.

18. ग्राम बरेली प.ह.नं. 35 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 18/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.035 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
108	0.005	184	0.001
196	0.006	188	0.002
195	0.006	252	0.001
166	0.004	250	0.003
158	0.004	256	0.001
157	0.001	254	0.002
156	0.001	Total	0.035 Ha.

19. ग्राम बरही प.ह.नं. 45 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 19/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.233 है. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
20	0.025	363	0.002
03	0.009	376	0.021
04	0.009	377	0.010
05	0.024	386	0.008
15	0.008	390	0.006
14	0.014	389	0.014
12	0.006	454	0.010
11	0.007	455	0.009
8	0.012	458	0.016
364	0.022	Total	0.233 Ha.

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

कलेक्टर कटनी एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन, के अधिसूचना क्र. 9965/प्र.वा.  
दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत

[मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 की धारा 4(1) के अंतर्गत]

नर्मदा घाटी विकास विभाग

उद्घोषणा

ढीमरखेड़ा, दिनांक 11 जून 2020

क्र. 350-भू.अ.-20.— राज्य शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केवल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 34/भू.अ. तारीख 17 जनवरी 2020 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 21 फरवरी 2020 में प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू—सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई) पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिये) भूमि का उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) अधीन तारीख 2 फरवरी 2020 को एक्सप्रेस न्यूज कटनी 2 फरवरी 2020 को [www.mprb.nic.in](http://www.mprb.nic.in) में प्रकाशित किया गया था।

और आक्षेप प्राप्त हुये थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है आक्षेपों को अनुज्ञात करा दिया है।

अतः अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि

का माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये अस्थाई अर्जन कर लिया जाना चाहिये ।

और अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1)(2) एवं (3) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से रहित उपयोग के अधिकार अस्थाई रूप से यथास्थिति में राज्य शासन में निहित होने के बजाय परियोजना विभाग में निहित निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, पाइप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव करने वाले विभाग में निहित हो जावेंगे ।

### अनुसूची-2

कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

- ग्राम हरदी प.ह.नं. 24 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 20/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.192 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
271	0.008	421	0.008
276	0.004	422	0.004
266	0.003	272/358	0.001
275	0.005	272/3	0.004
272/2	0.004	272/1	0.001
272/358	0.006	286	0.002
271	0.005	285	0.001
287	0.002	299	0.001
288	0.008	300	0.001
289	0.014	301	0.001
403	0.011	303	0.001
404	0.008	302	0.002

606	0.001	387	0.003
595	0.001	388	0.140
596	0.003	377	0.150
598	0.002	376	0.001
600	0.003	538	0.410
271	0.003	540	0.370
271	0.001	539	0.060
270	0.001	541	0.100
269	0.001	542	0.040
250	0.002	543	0.420
403	0.002	544	1.730
402	0.002	463	0.140
406	0.001	465	0.380
400	0.002	499	0.250
398	0.005	487	0.130
366	0.001	488	0.150
394	0.001	496	0.630
395	0.003	516	0.200
393	0.004	517	0.690
		<b>Total</b>	<b>0.192 Ha.</b>

2. ग्राम भनपुरा खुर्द प.ह.नं. 26 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी प्र.क्र. 21/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.487 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
280	0.011	250	0.009
279	0.004	244	0.002
277	0.006	249	0.002
277	0.004	245	0.005
291	0.006	246	0.004
298	0.003	246	0.004
299	0.001	205	0.009
296	0.001	204	0.004

297	0.005	199	0.015
302	0.001	199	0.002
306	0.003	168	0.005
305	0.004	169	0.007
307	0.007	140	0.002
308	0.004	139	0.006
311	0.003	137	0.011
309	0.008	131	0.001
310	0.004	171	0.005
310	0.003	127	0.012
253	0.009	127	0.001
252	0.003	171	0.019
251	0.009	93	0.003
91	0.004	415	0.001
90	0.003	473	0.002
277	0.003	474	0.001
275	0.002	475	0.002
274	0.004	465	0.003
273	0.002	461	0.001
277	0.003	459	0.003
289	0.005	458	0.001
288	0.002	428	0.001
287	0.001	430	0.001
285	0.002	738	0.004
667	0.002	737	0.003
666	0.006	721	0.002
661	0.008	723	0.001
659	0.003	724	0.001
660	0.006	705	0.001
310	0.002	725	0.003
254	0.001	246	0.001
255	0.003	245	0.001
240	0.002	208	0.003
239	0.002	209	0.001

219	0.006	213	0.004
220	0.003	199	0.004
310	0.005	169	0.008
312	0.002	190/1	0.006
355	0.008	189/1	0.004
354	0.001	189/2	0.001
353	0.002	188	0.004
351	0.002	187	0.003
349	0.002	186	0.004
389	0.004	177	0.001
396	0.002	615	0.003
399	0.002	616	0.003
398	0.002	617	0.002
618	0.002	127	0.004
199	0.001	125	0.002
168	0.001	126	0.001
200	0.002	122	0.006
167	0.002	110/748	0.001
166	0.001	108	0.001
142	0.003	108	0.003
144	0.002	80	0.002
145	0.001	78	0.004
146	0.002	76	0.002
148	0.006	171	0.015
150	0.003	Total	0.487 Ha.

3. ग्राम भटगंवा प.ह.नं. 27 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 22/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.141 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
130	0.005	106	0.002
129	0.003	92	0.006
128	0.002	93	0.008
127	0.001	98	0.009
127	0.001	99	0.012
121	0.004	341/2	0.006
123	0.003	342	0.003
122	0.001	253	0.004
116	0.004	354	0.004
115	0.004	361	0.006
113	0.004	281	0.006
111	0.008	284	0.005
110	0.005	286	0.001
88	0.001	287	0.002
91	0.006	317	0.001
289	0.003	127	0.003
315	0.003	136	0.002
293	0.002	111	0.002
314	0.007	88	0.001
312	0.005	89	0.009
310	0.001	12	0.007
309	0.006	Total	0.181 Ha.

4. ग्राम झुनकी प.ह.नं. 27 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 23/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.137 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
72	0.002	56	0.002
76	0.011	137	0.003
96	0.002	129	0.003
96	0.001	128	0.003
97	0.007	56	0.001
22	0.005	55	0.005
101	0.004	54	0.005
108	0.009	45	0.003
120	0.012	39/1	0.004
122	0.006	40	0.002
56	0.010	96	0.002
55	0.004	76	0.004
133	0.003	75	0.002
53	0.007	67	0.007
47	0.003	11	0.006
48	0.002	9	0.002
51	0.002	Total	0.137 Ha.

5. ग्राम बरेली प.ह.नं. 11 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 24/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.196 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
739	0.004	471	0.004
459	0.025	472	0.004
427	0.010	722	0.001
434	0.007	415/1	0.001
425	0.008	402	0.002
423	0.002	403/1	0.034

424	0.006	406	0.005
414	0.005	381	0.005
413	0.003	483	0.001
415/1	0.004	484	0.003
402	0.002	485	0.001
392	0.001	489	0.003
393	0.002	370	0.005
394	0.005	368	0.001
395	0.004	369	0.005
389	0.006	365	0.001
435	0.001	364	0.002
434	0.003	363/3	0.004
426	0.004	310	0.001
461	0.001	344	0.002
465	0.003	343/4	0.001
464	0.003	Total	0.196 Ha.

6. ग्राम धनगवां प.ह.नं. 26 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 25/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.036 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
82	0.002	98	0.001
83	0.001	99	0.001
80	0.002	38	0.002
115	0.001	42	0.002
111	0.002	41	0.002
110	0.002	24	0.003
109	0.004	25	0.001
106	0.001	22	0.003
102	0.002	20/2	0.003
100	0.002	Total	0.036 Ha.

7. ग्राम परसवारा प.ह.नं. 24 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 26/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.089 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
143	0.003	109	0.004
144	0.009	100	0.003
146/2	0.009	106	0.002
64	0.003	105	0.004
65	0.001	92	0.003
111	0.003	34	0.003
110	0.001	35	0.004
37	0.002	41	0.003
36/2	0.004	42	0.005
39	0.007	20	0.003
40/1	0.001	19	0.002
40/3	0.006	18	0.003
		Total	0.089 Ha.

8. ग्राम चंदोल (वीरान) प.ह.नं. 27 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 27/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.031 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
7	0.003	2	0.007
42/2	0.004	3/1	0.002
48	0.015	Total	0.031 Ha.

9. ग्राम भनपुराकला प.ह.नं. 6/98 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी प्र.क्र. 28/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.142 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
414	0.003	539	0.001
416	0.008	478	0.006
393	0.004	440	0.006
389	0.001	442	0.001
478	0.001	441	0.005
497	0.004	450	0.002
498	0.004	451	0.001
529	0.004	562	0.003
530	0.001	559	0.003
533	0.008	560	0.005
534	0.001	557	0.002
535	0.003	524	0.004
523	0.002	409	0.001
525	0.002	410	0.003
526	0.001	411	0.003
503	0.001	407	0.001
528	0.002	413	0.003
502	0.001	414	0.003
501	0.002	406	0.005
500	0.002	404	0.005
499	0.004	484	0.004
497	0.001	486	0.001
478	0.012	487	0.003
		Total	0.142 Ha.

10. ग्राम गढ़मास प.ह.नं. 27 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 29/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.080 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
60	0.002	14	0.003
59	0.001	17/3	0.002
47	0.006	35	0.003
57	0.005	33	0.002
53	0.001	32	0.002
52	0.002	170	0.005
53	0.005	17/3	0.003
82	0.002	19	0.002
130	0.004	31	0.002
134	0.001	30	0.005
135	0.002	172	0.004
11	0.005	173	0.004
8/2	0.003	174	0.004
8/3	0.002	Total	0.080 Ha.

11. ग्राम पिपरिया प.ह.नं. 6/98 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी  
प्र.क्र. 30/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.365 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
423	0.004	260	0.001
425	0.003	248	0.002
414	0.009	248	0.002
821	0.013	247/1	0.003
820	0.006	249	0.001
819	0.004	244	0.003
818	0.004	245	0.001
810	0.003	242	0.003
474	0.003	241	0.001
475	0.005	195	0.005
362	0.002	197	0.002
361	0.004	196	0.006

357	0.005	180	0.004
358	0.001	179	0.001
261	0.006	177	0.002
173	0.008	352	0.003
149	0.003	347	0.005
73	0.005	345	0.005
80	0.001	344	0.001
81	0.002	375	0.006
82	0.002	380	0.003
84	0.001	390	0.001
102	0.004	379	0.002
89	0.001	400	0.004
97	0.001	402	0.002
108	0.001	401	0.001
96	0.003	196	0.001
91	0.001	198	0.003
90	0.002	180	0.001
17	0.003	178	0.003
19	0.001	176	0.004
16	0.004	175	0.004
15	0.002	144	0.004
517	0.002	142	0.003
515	0.006	122	0.009
514	0.002	124	0.006
520	0.006	196	0.001
505	0.001	197	0.002
531	0.003	199	0.001
475	0.001	201	0.003
808	0.002	236	0.005
809	0.002	275	0.003
811	0.001	276	0.003
816	0.003	341	0.001
827	0.004	297	0.007
248	0.001	298	0.005
265	0.003	339	0.006
267/6	0.005	338	0.001
353/2	0.002	312/1-3	0.004
313/1	0.003	214	0.002

336	0.006	219	0.001
316/2	0.001	225	0.001
335	0.002	122	0.004
334	0.001	121	0.003
331	0.001	69	0.002
330	0.002	66	0.003
122	0.003	65	0.002
140	0.001	64	0.001
139	0.003	62	0.005
141	0.005	57	0.002
213	0.002	55	0.001
		Total	0.365 Ha.

12. ग्राम सहजपुरी प.ह.नं. 26 तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी प्र.क्र. 31/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.024 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में	खसरा नंबर	अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
7	0.003	7	0.005
8	0.005	13	0.005
7	0.007	Total	0.024 Ha.

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) ढीमरखेड़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

कलेक्टर कटनी एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन, के अधिसूचना क्र. 9965/प्र.वा. दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत

मध्यप्रदेश के रांच्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सपना त्रिपाठी, सक्षम प्राधिकारी (मा. उ.) अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सार्वजनिक सूचना  
(देखिये धारा 25)

क्रमांक-13अ-82-17-18-भू-अर्जन-2020-3665

सागर, दिनांक 11 जून, 2020

मौजा  
भू-अर्जन प्रकरण 13अ/82/2017-18 में बीना परियोजनांतर्गत चक्रपुर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 का धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना दिनांक 28/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 27/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में अधिनियम 2013 की धारा 19 की प्रावधानित कार्यवाहियां स्थानीय व्यापक विरोध एवं स्थल पर कार्य अवरुद्ध किये जाने की स्थिति निर्मित हो जाने से पूर्ण नहीं की जा सकी है अतः परियोजना हेतु भू-अर्जन की विधिवत कार्यवाही पूर्ण करते हुये अवार्ड पारित किये जाने के लिये अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

ह.नं.-29 तहसील राहतगढ़ ध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

क्रमांक-33अ-82-17-18-भू-अर्जन-2020-3667

मौजा मसानिया पट.ह.नं.-29 तहसील राहतगढ़  
भू-अर्जन प्रकरण 33अ/82/2017-18 में बीना परियोजनांतर्गत चक्रपुर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना दिनांक 28/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 27/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में अधिनियम 2013 की धारा 19 की प्रावधानित कार्यवाहियां स्थानीय व्यापक विरोध एवं स्थल पर कार्य अवरुद्ध किये जाने की स्थिति निर्मित हो जाने से पूर्ण नहीं की जा सकी है अतः परियोजना हेतु भू-अर्जन की विधिवत कार्यवाही पूर्ण करते हुये अवार्ड पारित किये जाने के लिये अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्रमांक-08अ-82-17-18-भू-अर्जन-2020-3668

मौजा चौकी पट.ह.नं.-29 तहसील राहतगढ़  
भू-अर्जन प्रकरण 08अ/82/2017-18 में बीना परियोजनांतर्गत चक्रपुर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना दिनांक 28/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 27/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में अधिनियम 2013 की धारा 19 की प्रावधानित कार्यवाहियां स्थानीय व्यापक विरोध एवं स्थल पर कार्य अवरुद्ध किये जाने की स्थिति निर्मित हो जाने से पूर्ण नहीं की जा सकी है अतः परियोजना हेतु भू-अर्जन की विधिवत कार्यवाही पूर्ण करते हुये अवार्ड पारित किये जाने के लिये अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
पन्ना, दिनांक 12 जून 2020

प्रकरण क्रमांक 20 / अ-82 वर्ष 2020-2021 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	देवन्द्रनगर	सिमरी वैश्य	निजी भूमि रकवा <b>0.669 है०</b> एवं शासकीय भूमि रकवा <b>0.000 है०</b> कुल रकवा <b>0.669 है०</b>	उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे रेल्वे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगराली, महोबा - खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु छूटे हुये रकवो का पूरक प्रस्ताव

भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे पन्ना म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 21 /अ-82 वर्ष 2020-2021 चौके राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	पन्ना	सुनहरा	निजी भूमि रकवा <b>4.292 हैं०</b> एवं शासकीय भूमि रकवा <b>0.924 हैं०</b> कुल रकवा <b>5.216 हैं०</b>	उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे रेल्वे	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा - खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण हेतु छूटे हुये रकवों का पूरक प्रस्ताव

भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे पन्ना म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 17 जून 2020

क्रमांक 315/भू-अर्जन/2020, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

**“अनुसूची”****1— भूमि का वर्णन:-**

- |                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| (क) जिला           | - | सीधी                |
| (ख) तहसील          | - | बहरी                |
| (ग) नगर/ग्राम      | - | सरदा                |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल | - | निजी रकवा 4.215 हे. |

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	997	0.083	भगवानदास श्यामलाल बुद्धसेन पिता दुर्जन बड़कवा पिता कन्हई मु. इन्द्रनिया वेवा दुर्जन बाबूलाल पिता औसेरिया कोल
2.	998	0.041	भगवानदास श्यामलाल बुद्धसेन पिता दुर्जन बड़कवा पिता कन्हई मु. इन्द्रनिया वेवा दुर्जन बाबूलाल पिता औसेरिया कोल
3.	994	0.050	दलेल सिंह पिता परिगन सिंह बघेल
4.	995	0.030	भगवानदास श्यामलाल बुद्धसेन पिता दुर्जन बड़कवा पिता कन्हई मु. इन्द्रनिया वेवा दुर्जन बाबूलाल पिता औसेरिया कोल
5.	992	0.050	दलेल सिंह पिता परिगन सिंह बघेल
6.	991	0.007	दलेल सिंह पिता परिगन सिंह बघेल
7.	863	0.015	कन्ताली पिता नन्हई कुम्हार
8.	860/1		रामसिंह पिता धनराज सिंह 2/5 रामसिंह श्याम सिंह पिता धनराज सिंह चौहान 3/5
9.	860/2		मु. सूरत कुमारी वेवा कुन्जराज सिंह वीरेन्द्र कुमार सिंह भाईलाल सिंह अर्जुन सिंह पिता कुन्जराज सिंह मु.मीरा सिंह वेवा राजकिशोर प्रियंका सोनू जाण्डवी छोटी पिता राजकिशोर सिंह चौहान
10.	860/3	0.420	मु.बुतना वेवा त्रिवेणी सिंह अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भगीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह बटिया पिता त्रिवेणी सिंह
11.	860/4		हरिकमल सिंह रविनन्दन सिंह दिलीप सिंह पिता थानेश्वर सिंह मु. धर्मा सिंह वेवा थानेश्वर सिंह चौहान
12.	860/5		राजवन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु. अमरावती वेवा बालके सिंह
13.	860/6		दलवीर सिंह सभाजीत सिंह प्रभाकर, सिंह बृजनायक सिंह पिता लालबिहारी सिंह
14.	851	0.066	सम्पति अंगद पिता लगनधारी 1/2 जवाहर विट्टी लेदही बब्ली मुन्नी पिता भगवत मु. पनऊआ वेवा भगवत मु. धर्मराजू वेवा निरपति इन्द्रपति नन्दलाल नारेन्द्र हरीलाल विट्टन सुनीता नीलू विट्टी पिता निरपति काढी 1/2
15.	850	0.025	सम्पति अंगद पिता लगनधारी 1/2 जवाहर विट्टी लेदही बब्ली मुन्नी पिता भगवत मु. पनऊआ वेवा भगवत मु. धर्मराजू वेवा निरपति इन्द्रपति नन्दलाल नारेन्द्र हरीलाल विट्टन सुनीता नीलू विट्टी पिता निरपति काढी 1/2
16.	849	0.033	सम्पति अंगद पिता लगनधारी 1/2 जवाहर विट्टी लेदही बब्ली मुन्नी पिता भगवत मु. पनऊआ वेवा भगवत मु. धर्मराजू वेवा निरपति इन्द्रपति नन्दलाल नारेन्द्र हरीलाल विट्टन सुनीता नीलू विट्टी पिता निरपति काढी 1/2
17.	848	0.030	सम्पति अंगद पिता लगनधारी 1/2 जवाहर विट्टी लेदही बब्ली मुन्नी पिता भगवत मु. पनऊआ वेवा भगवत मु. धर्मराजू वेवा निरपति इन्द्रपति नन्दलाल नारेन्द्र हरीलाल विट्टन सुनीता नीलू विट्टी पिता निरपति काढी 1/2
18.	847	0.049	सम्पति अंगद पिता लगनधारी 1/2 जवाहर विट्टी लेदही बब्ली मुन्नी पिता

			भगवत् मु पनऊआ वेवा भगवत् मु धर्मराजू वेवा निरपति इन्द्रपति नन्दलाल नारेन्द्र हरीलाल विट्टन सुनीता नीलू विट्टी पिता निरपति काढी 1/2
19.	845	0.052	सम्पति अंगद पिता लगनधारी 1/2 जवाहर बिट्टी लेदही बब्बी मुनी पिता भगवत् मु पनऊआ वेवा भगवत् मु धर्मराजू वेवा निरपति इन्द्रपति नन्दलाल नारेन्द्र हरीलाल विट्टन सुनीता नीलू विट्टी पिता निरपति काढी 1/2
20.	844	0.040	सम्पति अंगद पिता लगनधारी 1/2 जवाहर बिट्टी लेदही बब्बी मुनी पिता भगवत् मु पनऊआ वेवा भगवत् मु धर्मराजू वेवा निरपति इन्द्रपति नन्दलाल नारेन्द्र हरीलाल विट्टन सुनीता नीलू विट्टी पिता निरपति काढी 1/2
21.	718	0.114	राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता शिरोमणि सिंह चौहान
22.	717	0.102	राजबहोर वंशपति राजमणि पिता रामलाल काढी
23.	706	0.102	भोला प्रसाद अग्रनाथ हरिशंकर विजयशंकर पिता अम्बिका प्रसाद
24.	704	0.070	रामभिलाषाराम मोहन प्रसाद मदन प्रसाद रोहिणी प्रसाद गंगा प्रसाद पिता रामसेवकराम
25.	703	0.008	रामभिलाषाराम मोहन प्रसाद मदन प्रसाद रोहिणी प्रसाद गंगा प्रसाद पिता रामसेवकराम
26.	700	0.004	रघुवीर महावीर पिता फौजदार शोभा पिता छठिलाल मु रजनी वेवा गणेश मनीष राधे रजमन्ती बुधनी बुटनी रानी पिता गणेश मु सोनिया वेवा लकपति बब्बू छोटे रामकली सुनीता पिता लकपति
27.	701	0.060	रघुवीर महावीर पिता फौजदार शोभा पिता छठिलाल मु रजनी वेवा गणेश मनीष राधे रजमन्ती बुधनी बुटनी रानी पिता गणेश मु सोनिया वेवा लकपति बब्बू छोटे रामकली सुनीता पिता लकपति
28.	666	0.045	रघुवीर महावीर पिता फौजदार शोभा पिता छठिलाल मु रजनी वेवा गणेश मनीष राधे रजमन्ती बुधनी बुटनी रानी पिता गणेश मु सोनिया वेवा लकपति बब्बू छोटे रामकली सुनीता पिता लकपति
29.	665	0.048	रघुवीर महावीर पिता फौजदार शोभा पिता छठिलाल मु रजनी वेवा गणेश मनीष राधे रजमन्ती बुधनी बुटनी रानी पिता गणेश मु सोनिया वेवा लकपति बब्बू छोटे रामकली सुनीता पिता लकपति
30.	664	0.044	रामाधीन समई कलुई गुलबसिया फूलउआ पिता चिड़डा 1/2 मखोली पिता मंगाली 1/2
31.	667	0.055	रामाधीन समई पिता चिड़डा
32.	663	0.009	रामाधीन समई पिता चिड़डा
33.	653	0.102	रामनिश्चय राम पिता परमेश्वर राम
34.	655	0.048	मु फूलबती वेवा शंकर राम अंजनी प्रसाद चन्द्रप्रताप राजेश पिता शंकरराम 1/4 रामसलोने पिता बासदेव 1/4 श्यामसुन्दर पिता बासदेव 1/4 मु चन्द्रकली पति रामनिहोर रामकृष्ण तुलसी दास भरत कुमार पिता रामनिहोर 1/4
35.	644	0.066	मु फूलबती वेवा शंकर राम अंजनी प्रसाद चन्द्रप्रताप राजेश पिता शंकरराम 1/4 रामसलोने पिता बासदेव 1/4 श्यामसुन्दर पिता बासदेव 1/4 मु चन्द्रकली पति रामनिहोर रामकृष्ण तुलसी दास भरत कुमार पिता रामनिहोर 1/4
36.	631	0.079	फणीन्द्र प्रताप सिंह अरुण कुमार सिंह अर्जुन सिंह मार्तण्ड प्रताप सिंह शिवराज सिंह ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह सुधा सिंह पिता अभयराज सिंह
37.	630	0.036	फणीन्द्र प्रताप सिंह अरुण कुमार सिंह अर्जुन सिंह मार्तण्ड प्रताप सिंह शिवराज सिंह ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह सुधा सिंह पिता अभयराज सिंह
38.	633	0.072	फणीन्द्र प्रताप सिंह अरुण कुमार सिंह अर्जुन सिंह मार्तण्ड प्रताप सिंह शिवराज सिंह ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह सुधा सिंह पिता अभयराज सिंह
39.	632	0.012	फणीन्द्र प्रताप सिंह अरुण कुमार सिंह अर्जुन सिंह मार्तण्ड प्रताप सिंह शिवराज सिंह ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह सुधा सिंह पिता अभयराज सिंह
40.	620	0.060	कमलेश्वर सिंह पिता बृहस्पति सिंह चौहान
41.	621	0.002	कमलेश्वर सिंह पिता बृहस्पति सिंह चौहान
42.	618	0.031	मु रजाऊदी वेवा उग्रसेन सिंह प्रभात कुमार सिंह अशोक कुमार सिंह अरविन्द कुमार सिंह पिता उग्रसेन सिंह
43.	603	0.040	धनपत लोकमणि लालमणि पिता रामऔतार
44.	617	0.018	कमलेश्वर सिंह पिता बृहस्पति सिंह
45.	601	0.001	झल्ली पिता शंकर माझी
46.	607	0.022	गोरेलाल अभिमान भैयालाल रगोले रजनीश बड़किया छोटकिया पिता औसेरिया मु फुलकुमारी वेवा औसेरिया
47.	606	0.044	गोरेलाल अभिमान भैयालाल रगोले रजनीश बड़किया छोटकिया पिता औसेरिया मु फुलकुमारी वेवा औसेरिया
48.	605	0.003	गोरेलाल अभिमान भैयालाल रगोले रजनीश बड़किया छोटकिया पिता औसेरिया मु फुलकुमारी वेवा औसेरिया
49.	588	0.069	गोरेलाल अभिमान भैयालाल रगोले रजनीश बड़किया छोटकिया पिता औसेरिया

50.	589	0.020	मु. फुलकुमारी वेवा औसेरिया सम्पति अंगद पिता लगनधारी
51.	582	0.159	फणीन्द्र प्रताप सिंह पिता अभयराज सिंह चौहान
52.	581	0.076	मु.श्यामवती वेवा रामसुमेर रामश्रय अश्वनी कुमार लक्ष्मी पिता रामसुमेरराम 1/3 बिन्दवसुआ वेवा गुलाबराम आनन्द प्रसाद अखिलेश्वर प्रसाद आसुतोष प्रसाद अनिल प्रसाद सुशीला उर्मिला सुभगिया पिता गुलाबराम 1/3 रामसुमेर पिता बृहस्पति राम 1/6 वंशमणि प्रसाद पिता वैजनाथ राम 1/6
53.	578	0.083	मु.श्यामवती वेवा रामसुमेर रामश्रय अश्वनी कुमार लक्ष्मी पिता रामसुमेरराम 1/3 बिन्दवसुआ वेवा गुलाबराम आनन्द प्रसाद अखिलेश्वर प्रसाद आसुतोष प्रसाद अनिल प्रसाद सुशीला उर्मिला सुभगिया पिता गुलाबराम 1/3 रामसुमेर पिता बृहस्पति राम 1/6 वंशमणि प्रसाद पिता वैजनाथ राम 1/6
54.	577	0.037	मु.श्यामवती वेवा रामसुमेर रामश्रय अश्वनी कुमार लक्ष्मी पिता रामसुमेरराम 1/3 बिन्दवसुआ वेवा गुलाबराम आनन्द प्रसाद अखिलेश्वर प्रसाद आसुतोष प्रसाद अनिल प्रसाद सुशीला उर्मिला सुभगिया पिता गुलाबराम 1/3 रामसुमेर पिता बृहस्पति राम 1/6 वंशमणि प्रसाद पिता वैजनाथ राम 1/6
55.	576	0.020	मु.श्यामवती वेवा रामसुमेर रामश्रय अश्वनी कुमार लक्ष्मी पिता रामसुमेरराम 1/3 बिन्दवसुआ वेवा गुलाबराम आनन्द प्रसाद अखिलेश्वर प्रसाद आसुतोष प्रसाद अनिल प्रसाद सुशीला उर्मिला सुभगिया पिता गुलाबराम 1/3 रामसुमेर पिता बृहस्पति राम 1/6 वंशमणि प्रसाद पिता वैजनाथ राम 1/6
56.	574	0.112	राजबली पिता भजन 1/3 बसंतलाल कुआरे मंगल मुदुरा गोपाल पिता सुदामा मु. फुलेशरी वेवा सुदामा तेली मु. कुसुमकली वेवा श्यामलाल मुन्नी पुत्री श्यामलाल 1/3 मु. कुसुमकली वेवा श्यामलाल मुन्नी पुत्री श्यामलाल 1/3
57.	573	0.050	राजबली पिता भजन 1/3 बसंतलाल कुआरे मंगल मुदुरा गोपाल पिता सुदामा मु. फुलेशरी वेवा सुदामा तेली मु. कुसुमकली वेवा श्यामलाल मुन्नी पुत्री श्यामलाल 1/3 मु. कुसुमकली वेवा श्यामलाल मुन्नी पुत्री श्यामलाल 1/3
58.	572	0.013	मु.श्यामवती वेवा रामसुमेर रामश्रय अश्वनी कुमार लक्ष्मी पिता रामसुमेरराम 1/3 बिन्दवसुआ वेवा गुलाबराम आनन्द प्रसाद अखिलेश्वर प्रसाद आसुतोष प्रसाद अनिल प्रसाद सुशीला उर्मिला सुभगिया पिता गुलाबराम 1/3 रामसुमेर पिता बृहस्पति राम 1/6 वंशमणि प्रसाद पिता वैजनाथ राम 1/6
59.	570	0.170	मु.श्यामवती वेवा रामसुमेर रामश्रय अश्वनी कुमार लक्ष्मी पिता रामसुमेरराम 1/3 बिन्दवसुआ वेवा गुलाबराम आनन्द प्रसाद अखिलेश्वर प्रसाद आसुतोष प्रसाद अनिल प्रसाद सुशीला उर्मिला सुभगिया पिता गुलाबराम 1/3 रामसुमेर पिता बृहस्पति राम 1/6 वंशमणि प्रसाद पिता वैजनाथ राम 1/6
60.	568	0.080	मु.श्यामवती वेवा रामसुमेर रामश्रय अश्वनी कुमार लक्ष्मी पिता रामसुमेरराम 1/3 बिन्दवसुआ वेवा गुलाबराम आनन्द प्रसाद अखिलेश्वर प्रसाद आसुतोष प्रसाद अनिल प्रसाद सुशीला उर्मिला सुभगिया पिता गुलाबराम 1/3 रामसुमेर पिता बृहस्पति राम 1/6 वंशमणि प्रसाद पिता वैजनाथ राम 1/6
61.	564	0.040	मु. सुगंजआ पति वंशपति राम मोहनराम बुद्धिमान फत्तेराम भुआलेराम पिता वंशपतीराम व मु. यशोमती पति राजमणि राम सुरेन्द्र प्रसाद तुलसीदास चिन्तामणि शीतला प्रसाद पिता राजमणि राम
62.	563	0.012	मु. सुगंजआ पति वंशपति राम मोहनराम बुद्धिमान फत्तेराम भुआलेराम पिता वंशपतीराम व मु. यशोमती पति राजमणि राम सुरेन्द्र प्रसाद तुलसीदास चिन्तामणि शीतला प्रसाद पिता राजमणि राम
63.	562	0.040	मु. सुगंजआ पति वंशपति राम मोहनराम बुद्धिमान फत्तेराम भुआलेराम पिता वंशपतीराम व मु. यशोमती पति राजमणि राम सुरेन्द्र प्रसाद तुलसीदास चिन्तामणि शीतला प्रसाद पिता राजमणि राम
64.	657	0.036	मु. सुखरनिया वेवा रामनिश्चय राम जगदीश प्रसाद विहारी लाल अयोध्या प्रसाद पिता रामनिश्चय राम राघवेन्द्र गणेश प्रसाद नारायण प्रसाद गायत्री पिता जगन्नाथ प्रसाद गु. देविका पत्नी जगन्नाथ प्रसाद
65.	990/1	0.150	रविराज सिंह पिता रंगदेव सिंह चौहान
66.	990/2		दिनेश सिंह पिता सरदार सिंह चौहान
67.	988	0.060	रविराज सिंह पिता रंगदेव सिंह चौहान
68.	987	0.070	रविराज सिंह पिता रंगदेव सिंह चौहान
69.	924	0.040	रामबहोर लोलर लल्लू रघुनाथ पिता धनपति निचकवा पिता सददा राममिलन पिता रामबहोर कुम्हार 1/3 रामबहोर लोलर लल्लू रघुनाथ पिता धनपति निचकवा पिता सददा 2/3
70.	920/Min-1	0.035	कन्ताली पिता नन्हई कुम्हार
71.	920/Min-2		पंचमा कुनुआ धनुआ भिल्ली भुलई पिता वल्लिया
72.	915	0.020	बलमद्र सिंह विष्णु बहादुर सिंह धनजुआ रजनी हंसी केमली पिता निरपति सिंह मु. सुजीता देवी वेवा निरपति सिंह चौहान

73.	916	0.040	पंचमा कुनुआ धनुआ भिल्ली भुलई पिता बल्दिया
74.	911	0.070	कन्ताली पिता नन्हई कुम्हार
75.	575	0.025	राजबली पिता भजन 1/3 वसंतलाल कुआरे मंगल मुटुगा गोपाल पिता सुदामा मु. फुलेशरी वेवा सुदामा तेली मु. कुसुमकली वेवा श्यामलाल मुन्नी पुत्री श्यामलाल 1/3 मु. कुसुमकली वेवा श्यामलाल मुन्नी पुत्री श्यामलाल 1/3
76.	567	0.080	आनन्द प्रसाद अखिलेश प्रसाद आसुतोष अनिल कुमार पिता गुलाबराम मु. बिन्दुवसुआ वेवा गुलाबराम
77.	708	0.105	आनन्द प्रसाद अखिलेश प्रसाद आसुतोष अनिल कुमार पिता गुलाबराम मु. बिन्दुवसुआ वेवा गुलाबराम
78.	565	0.055	मु.श्यामकली वेवा रामसुमेर रामश्रय अश्वनी कुमार लक्ष्मी पिता रामसुमेरराम 1/3 विन्दवसुआ वेवा गुलाब रामआनन्द प्रसाद अखिलेश्वर प्रसाद आसुतोष प्रसाद अनिल प्रसाद सुशीला उर्मिला सुभगिया पिता गुलाबराम 1/3 रामसुमेर पिता बृहस्पति राम 1/6 वंशमणि प्रसाद पिता बैजनाथ राम 1/6
79.	561	0.160	मु.सुगुजआ पति वंशपतिराम मोहनराम बुद्धिमान फत्तेराम भुआलेराम पिता वंशपतिराम व मु. यशोमती पति राजमणि राम सुरेन्द्र प्रसाद तुलसीदास चिन्तामणि शीतला प्रसाद पिता राजमणि राम ब्रा.
Total	79 किता	4.215 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है — बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 7 के निर्माण हेतु।  
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 317/भू-अर्जन/2020, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### “ अनुसूची”

#### 1— भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	—	सीधी
(ख) तहसील	—	रामपुर नैकिन
(ग) नगर / ग्राम	—	हनुमानगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल	—	निजी रकवा 2.203 हे.

संक्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम	1	2	3	4
				1	2	3	4
1	2152	0.052 ✓	प्रेमवती पति रामशिरोमणि वेदान्ती प्रसाद रामेश्वर प्रसाद पिता रामशिरोमणि 1/4, रामनेवाज पिता गोमती राम 1/4, उग्रवती पति भागवत प्रदीप ओम प्रकाश पिता भावगत 1/3 अंजनी कुमार पिता केदाराम 1/6 रामरक्षा जीतेन्द्र सतेन्द्र शैलेन्द्र पिता महेश प्रसाद 1/4				
2	2153	0.140 ✓	प्रेमवती पति रामशिरोमणि वेदान्ती प्रसाद रामेश्वर प्रसाद पिता रामशिरोमणि 1/4, रामनेवाज पिता गोमती राम 1/4, उग्रवती पति भागवत प्रदीप ओम प्रकाश पिता भावगत 1/3 अंजनी कुमार पिता केदाराम 1/6 रामरक्षा जीतेन्द्र सतेन्द्र शैलेन्द्र पिता महेश प्रसाद 1/4				
3	2165	0.072 ✓	प्रेमवती पति रामशिरोमणि वेदान्ती प्रसाद रामेश्वर प्रसाद पिता रामशिरोमणि 1/4, रामनेवाज पिता गोमती राम 1/4, उग्रवती पति भागवत प्रदीप ओम प्रकाश पिता भावगत 1/3 अंजनी कुमार पिता केदाराम 1/6 रामरक्षा जीतेन्द्र सतेन्द्र शैलेन्द्र पिता महेश प्रसाद 1/4				
4	2168	0.026 ✓	प्रेमवती पति रामशिरोमणि वेदान्ती प्रसाद रामेश्वर प्रसाद पिता रामशिरोमणि 1/4, रामनेवाज पिता गोमती राम 1/4, उग्रवती पति भागवत प्रदीप ओम प्रकाश पिता भावगत 1/3 अंजनी कुमार पिता केदाराम 1/6 रामरक्षा जीतेन्द्र सतेन्द्र शैलेन्द्र पिता महेश प्रसाद 1/4				
5	2167/2	0.073 ✓	वेदान्ती प्रसाद पिता रामशिरोमणि ओमप्रकाश पिता भगवत प्रसाद				
6	2187	0.016 ✓	परणरहा पिता शम्भू अहिर				
7	2188/1	0.120 ✓	दिनेन्द्र कुमार द्विवेदी पिता रघुवंश प्रसाद द्विवेदी				
8	2189/2	0.009 ✓	केदार पिता रामेश्वर कलार				

9	2210	0.140 ✓	यशोदा देवी वेवा रामखेलावन राजेन्द्र ब्रजेन्द्र देवेन्द्र पिता रामखेलावन
10	2214	0.060 ✓	मुदुलरिया वेवा गौरी
11	2246	0.050 ✓	लक्ष्मीनाथ अयोध्या प्रसाद पिता वंशीधर राम ब्रा.
12	2264	0.022 ✓	रामधार रामसजीवन पिता लक्षिमन अहिर
13	2278	0.004 ✓	रामसुन्दर राम पिता राममनोहर
14	1213	0.032 ✓	विजय मोहन पिता बैकुण्ड प्रसाद
15	1296/2/2	0.060 ✓	दुलारे पिता दुन्दा अहिर
16	1296/2/3	0.030 ✓	सुदामा पिता ललवा
17	1297/2	0.020 ✓	शंकरलाल कन्हैयालाल वीरेन्द्र पिता ईश्वरदीन
18	1300/1	0.030 ✓	आनन्द प्रसाद पिता गोपीराम ब्रा.
19	1263	0.110 ✓	शान्ती देवी पुत्री रामचरण राम ब्रा.
20	1274	0.005 ✓	अरविन्द कुमार पिता भारतलाल पाण्डेय

Dhara-19

21	953	0.030 ✓	रामनाथ पिता हिन्छपति राम ब्रा.
22	1406/2	0.060 ✓	रामस्वरूप पिता रामेश्वर ब्रा.
23	767/1	0.160 ✓	आनन्द प्रसाद पिता केमला प्रसाद
24	466	0.100 ✓	मु. चैती पति सोनई राजबहोर रामदीन पिता सोनई चन्द्रभान सिंह पिता जुन्दर सिंह मु. बसन्ती पत्नी सूर्यभान बुद्धसेन पिता सूर्यभान सूर्यपाल पिता रामधनी सिंह गोड़
25	465	0.010 ✓	मु. चैती पति सोनई राजबहोर रामदीन पिता सोनई चन्द्रभान सिंह पिता जुन्दर सिंह मु. बसन्ती पत्नी सूर्यभान बुद्धसेन पिता सूर्यभान सूर्यपाल पिता रामधनी सिंह गोड़
26	1671/3	0.020 ✓	मिठाईलाल खूखन पिता शंकर सिंह मु. रामकली वेवा बाबूलाल विश्वनाथ शिवभान पिता बाबूलाल सिंह गोड़
27	1672	0.010 ✓	मु. वेवा गंगी पति बैजनाथ देवशरण रामशरण पिता बैजनाथ सूरजभान सूरजन पिता रामसहाय 1/2 जगन्नाथ पिता रामसहाय 1/2
28	1683	0.192 ✓	मु. बड़कीवा पत्नी गोटई धोबी वीरभान दशरथ राममणि छोटेलाल सूर्यभान पिता गोटई धोबी
29	1417/3	0.040 ✓	रामाधार पिता काशीनाथ राम ब्रा.
30	2411	0.050 ✓	लक्ष्मीकान्त प्रभात कुमार पिता बुद्धसेन
31	755/1	0.040 ✓	रामसजीवन पिता केमला प्रसाद ब्रा.
32	756	0.050 ✓	रामसजीवन पिता केमला प्रसाद ब्रा.
33	2274	0.070 ✓	सियम्बर जमुनी दुइजी पिता लालमणि उदसिया पति लालमणि
34	737/1	0.120 ✓	रामकुमार पिता रामसुन्दर राम ब्रा.
35	737/2		सम्पति कुमार पिता रामसुन्दर राम ब्रा.
36	738/1	0.070 ✓	सम्पति कुमार पिता रामसुन्दर राम ब्रा.
37	738/2		श्रीमती प्रभा तिवारी पति नारायण प्रसाद तिवारी
38	2266	0.070 ✓	रामसुन्दर राम पिता राममनोहर
39	1365	0.040 ✓	रामसुन्दर राम पिता राममनोहर
	39 किता	2.203	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – महान मुख्य नहर के निर्माण हेतु।  
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय चुरहट/रामपुर नैकिन में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.